



2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy during the year 2023-2024 (Exclusive of supernumerary seats))

Table of Contents

Number of students admitted against seats earmarked for various reserved categories during the year 2023-2024.....	2
Summary of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the 2023-2024 (exclusive of supernumerary seats).....	2
Programme wise number of students admitted against seats earmarked for various reserved categories during the year 2023-2024.....	2
List of students admitted from reserved categories (all programmes) 2023-2024.....	3
List of Admitted Students in the Year 2023-2024.....	6
MBA.....	6
BBA (FOREIGN TRADE).....	17
BBA.....	19
B. COM.....	23
Admission Rules & GuideLines for reserved categories 2023-2024.....	24
MBA.....	24
Undergraduate Programmes.....	32
English Transcript of Admission rules for reserved categories.....	66



Number of students admitted against seats earmarked for various reserved categories during the year 2023-2024

No. of seats earmarked for reserved categories	210
No. of students admitted against earmarked seats	45

Summary of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the 2023-2024 (exclusive of supernumerary seats)

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule						Number of students admitted from the reserved category					
	SC	ST	OBC	Divyangjan	Gen	Others	SC	ST	OBC	Divyangjan	Gen	Others
2023-2024	69	84	57		210	0	6	1	38		238	

Programme wise number of students admitted against seats earmarked for various reserved categories during the year 2023-2024

S. No	Programme	No. of students admitted in reserved categories
1	MBA	22
2	BBA FT	06
3	BCOM	02
4	BBA	15
Total		



**List of students admitted from reserved categories (all programmes)
2023-2024**

Indore Institute of Management and Research

Category wise List of Students Admitted in MBA I Semester (2023-2024)

OBC

S.No.	Name	Father	Eligible Category	Allotted Category	Domicile	Gender	EWS
1	SHRISTI JAISWAL	BIJENDRA KUMAR JAISWAL	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
2	KAMAL HUSSAIN	ABDULMAJEED	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
3	SANU GOUR	UPENDRA	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
4	RAGINI PATIDAR	GOVARDHAN PATIDAR	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
5	TEJAS THAKRE	MURLIDHAR THAKRE	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
6	AYUSH KUMRAWAT	SUSHIL KUMRAWAT	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
7	VAISHNAVI MATE	MANOJ MATE	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
8	VIJAY SOLANKI	GHANSHYAM SOLANKI	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
9	RAJAT SONI	BHUPENDRA KUMAR SONI	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
10	JYOTI GURJAR	MOHAN LAL	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
11	JAY HARDIYA	MANOJ HARDISYA	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
12	PRIYA JAISHWAL	SATYNAM	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
13	SAKSHI PATIDAR	NARAYAN PATIDAR	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
14	AYUSHI PATWA	SHIV BAHOR PATWA	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
15	MAHIMA BEERANWAR	LALIT BEERANWAR	OBCXF	OBCXOP	Y	F	
16	SAHIL LIKHAR	RAKESH LIKHAR	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	
17	AAYUSH PANJARE	VINOD PANJARE	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	

SC & ST

S.No.	Name	Father	Eligible Category	Allotted Category	Domicile	Gender	EWS
1	UMA KADAM	INDER SINGH KADAM	SCXF	SCXOP	Y	F	
2	SAKSHI VERMA	ARUN VERMA	SCXF	SCXOP	Y	F	
3	ANJALI KATARE	MUKESH KATARE	SCXF	SCXOP	Y	F	
4	AMISHA PATIL	RAVI PATIL	SCXF	SCXOP	Y	F	
5	SANJAY VIRLAY	NARAYAN VIRLAY	STXOP	STXOP	Y	M	



Indore Institute of Management and Research

Category wise List of Students Admitted in BBA FT I Year (2023-2024)

OBC

S. No	Name	Father's Name	Eligible Category	Allotted Category	Gender
1	RASHIKA SULE	KUNJILAL SULE	OBC/X/F	OBC/X/F	F
2	SHRUTI SOLANKI	AJAY SOLANKI	OBC/X/F	OBC/X/F	F
3	VAIDIK MAHESHWARI	DEVENDRA MAHESHWARI	OBC/X/M	OBC/X/OP	M
4	KUMKUM CHOUHAN	SANJAY CHOUHAN	OBC/X/F	OBC/X/F	F
5	KUNDAN PATIDAR	CHANDRASHEKHAR PATIDAR	OBC/X/M	OBC/X/OP	M

SC

S. No	Name	Father's Name	Eligible Category	Allotted Category	Gender
1	KESHAR	AJAY	SC/X/F	SC/X/F	F

Category wise List of Students Admitted in B. Com I Year (2023-2024)

OBC

S. No	Name	Father's Name	Eligible Category	Allotted Category	Gender
1	PRIYA MALLAH	JAYPARAKASH MALLAH	OBC/X/F	OBC/X/F	F
2	NIKHIL MEENA	DILIP SINGH MEENA	OBC/X/M	OBC/X/OP	M



Indore Institute of Management and Research

Category wise List of Students Admitted in BBA I Year (2023-2024)

OBC

S. No	Name	Father's Name	Eligible Category	Allotted Category	Gender
1	ARPITA PATIDAR	GANESH PATIDAR	OBC/X/F	OBC/X/F	F
2	MAYURI PAWAR	DHANRAJ PAWAR	OBC/X/F	OBC/X/F	F
3	NIDHIKA PATIDAR	ANKUSH PATIDAR	OBC/X/F	OBC/X/F	F
4	RISHITA RATHORE	LAXMI NARAYAN RATHORE	OBC/X/F	OBC/X/F	F
5	ARYAN CHOUKSEY	ARJUN CHOUKESY	OBC/X/M	OBC/X/OP	M
6	KARAN DHAKAD	KISHORE DHAKAD	OBC/X/M	OBC/X/OP	M
7	NANDINI PATIDAR	SANJAY PATIDAR	OBC/X/F	OBC/X/OP	F
8	RAGNI GUPTA	BHANUPRATAP GUPTA	OBC/X/F	OBC/X/OP	F
9	RINKI GUPTA	BHANUPRATAP GUPTA	OBC/X/F	OBC/X/OP	F
10	RISHI	BALIRAM	OBC/X/M	OBC/X/OP	M
11	SHRADDHA RATHORE	RAHUL RATHORE	OBC/X/F	OBC/X/OP	F
12	ANUKUL KUMAR	SHEKHAR KUMAR	OBC/X/M	OBC/X/OP	M
13	NEHA SAH	JAISHLAL SAH	OBC/X/F	OBC/X/F	F
14	RISHI MEENA	RAJESH MEENA	OBC/X/M	OBC/X/OP	M

SC

S. No	Name	Father's Name	Eligible Category	Allotted Category	Gender
1	SHEETAL MEHAR	SHYAMLAL MEHAR	SC/X/F	SC/X/F	F





List of Admitted Students in the Year 2023-2024

MBA

DTE - MBA Admitted List 2023-24.

Indore Institute of Management and Research, Indore

S.No.	Rank	Marks	RollNo	Name	Father	Mother	Eligible Category	Allocated Category	Domicile	Gender	PhoneNo	EWS	Status	Date	Allocated Round	Final Status
1	0	CLC	13077907992	NAWDEEP JAIN	GOTHLALJI JAIN	ASHA JAIN	URXOP	URXOP	Y	M	9586529133		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
2	0	CLC	13075791903	ANIL PANCHAL	LAXMINARAYAN PANCHAL	LATE KUNTA BAI	AUR	URXOP	N	M	9754661937		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
3	0	CLC	13079767888	SHIRSHI JAISWAL	KUNAR JAISWAL	MILJAISWAL	OBCXF	OBCXOP	Y	F	6264540811		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
4	0	CLC	13065783387	RANU JAISWAL	BANWARI LAL JAISWAL	LOLI BAI	URXF	URXOP	Y	F	9555129104		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
5	0	CLC	13077972286	ANSHUL PATHAK	OM PRAKASH PATHAK	LATE MEENA PATHAK	URXOP	URXOP	Y	M	9826690386		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
6	0	CLC	13078071989	SUVEER CHANDRA DUBEY	DINESH CHANDRA DUBEY	POONAM DUBEY	URXOP	URXOP	Y	M	7987293532		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
7	0	CLC	13078973258	KAMAL HUSSAIN	ABDULMAJEED PATIDAR	FEHIDA BANU MOOLCHANDRA GUPTA	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	6261174430		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
8	0	CLC	13077959953	AAKASH DEEP GUPTA	DINESH KUMAR PATIDAR	VIDHYA PATIDAR	URXF	URXOP	Y	F	9891007706		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
9	0	CLC	13077967814	ANITA PATIDAR	DINESH KUMAR PATIDAR	DAVLA	URXF	URXOP	Y	F	8456887145		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
10	0	CLC	13077998360	NISHA SARKAR	NIDHIRI RAMLAKHAN RAWAT	ARTI RAWAT	URXOP	URXOP	Y	F	9630022254		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
11	0	CLC	13076573793	SHUBHANSHU RAWAT	MOHD ISHAK SHAIKH	KALPANA FARIDA SHAIKH	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	9770030106		Admitted	05/09/2023	(CLC)	
12	0	CLC	13078219359	SANU GOUR	UPENDRA MOHD ISHAK SHAIKH	FARIDA SHAIKH	AUR	URXOP	N	M	7006939780		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
13	0	CLC	13078714869	JAASIM SHAIKH	MOHD ISHAK SHAIKH	FARIDA SHAIKH	AUR	URXOP	N	M	9098271859		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
14	0	CLC	13079877436	AAYUSHI DUBEY	SANJAY DUBEY	CHANDRAKALA DUBEY	URXF	URXOP	Y	F	7999730169		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
15	0	CLC	13076484267	KHUSHI GUPTA	MAHENDRA GUPTA	BINDU GUPTA	URXF	URXOP	Y	F	9406864477		Admitted	14/09/2023	(CLC)	
16	0	CLC	13078836628	UMA KADAM	KADAM Inder Singh	VIMLA KADAM	SCXF	SCXOP	Y	F	8889574131		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
17	0	CLC	13077246907	ADARSH JAIN	GULAB CHANDRA JAIN	MEENA JAIN	URXOP	URXOP	Y	M	7909769152		Admitted	14/09/2023	(CLC)	
18	0	CLC	13069717297	RAJINI PATIDAR	GOVARDHAN PATIDAR	RADHA PATIDAR	OBCXF	OBCXOP	Y	F	9827350615		Admitted	14/09/2023	(CLC)	
19	0	CLC	13080885169	SAKSHI VERMA	ARUN VERMA	LAXMI VERMA	SCXF	SCXOP	Y	F	9826668056		Admitted	19/10/2023	(CLC)	
20	0	CLC	13080974466	ANJALI KATARE	MIKESH KATARE	SEVENTI KATARE	SCXF	SCXOP	Y	F	9589013460		Admitted	20/10/2023	(CLC)	
21	0	CLC	13079774452	KISHIKA UDIYA	BALRAM RAJANI	RAJANI	URXF	URXOP	Y	F	9179695759		Admitted	15/09/2023	(CLC)	
22	0	CLC	13078017559	SUSHIMA KOIHE	SUBHASH KOIHE	MANGLA KOIHE	URXF	URXOP	Y	F	8120013099		Admitted	15/09/2023	(CLC)	



Indore Institute of Management & Research
Opp. IIM, Indore (M.P.)
Rajiv Gandhi Road



23	0	CLC	130782375295	TANU MALTARE	MANOI MALTARE	SANDIYA MALTARE	URXF	URXOP	Y	F	9111719617	Admitted 14/09/2023 (CLC)
24	0	CLC	130785368822	RAJAT CHATURVEDI	SHIV BALI CHATURVEDI	ANITA CHATURVEDI	URXOP	URXOP	Y	M	8349754915	Admitted 15/09/2023 (CLC)
25	0	CLC	130765275933	ANSHIKA RAJPUT	ANAND	SUDHA	URXF	URXOP	Y	F	8109995105	Admitted 14/09/2023 (CLC)
26	0	CLC	130782142995	TEJAS THAKRE	MURLIHAR	USHA THAKRE	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	7974114009	Admitted 14/09/2023 (CLC)
27	0	CLC	130765716346	AYUSH THAKRE	SUSHIL KUMRAWAT	MANGLA KUMRAWAT	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	8349758253	Admitted 14/09/2023 (CLC)
28	0	CLC	130781709770	PRIVANKA JOSHI	SHANTI LAL JOSHI	SAROJ JOSHI	URXF	URXOP	Y	F	6222691001	Admitted 14/09/2023 (CLC)
29	0	CLC	130784547911	VAISHNAVI MATE	MANOI MATE	SANDIYA MATE	OBCXF	OBCXOP	Y	F	9753582440	Admitted 15/09/2023 (CLC)
30	0	CLC	130765384174	SAKINA IBRAHIM	IBRAHIM	FATEMA	URXF	URXOP	Y	F	9644915150	Admitted 14/09/2023 (CLC)
31	0	CLC	130765553732	AMAN TOMAR	SHIVIR SINGH TOMAR	UPASANA TOMAR	URXOP	URXOP	Y	M	7974101133	Admitted 05/09/2023 (CLC)
32	0	CLC	130772379530	PRATHMESH KAUSHAL	MUKESH KAUSHAL	RANJEETA KAUSHAL	URXOP	URXOP	Y	M	6264308374	Admitted 15/09/2023 (CLC)
33	0	CLC	130780061768	NEELIMA MANDLOI	BHEEMA MANDLOI	DASANTI MANDLOI	URXF	URXOP	Y	F	9589031212	Admitted 15/09/2023 (CLC)
34	0	CLC	130789405253	NANDINI MODI	JEEVANDAS MODI	SANGEETA MODI	URXF	URXOP	Y	F	9285560733	Admitted 15/09/2023 (CLC)
35	0	CLC	130809098720	PINKY RAY	PABITRA RAY	RESHMI RAY	URXF	URXOP	Y	F	7224859851	Admitted 20/10/2023 (CLC)
36	0	CLC	130781391942	SOMYA SONI	PRADDEEP SONI	SANDIYA SONI	AIUR	URXOP	N	F	9309602266	Admitted 15/09/2023 (CLC)
37	0	CLC	130787164416	SANDEEP KUMAR MISHRA	BUDDHASEN MISHRA	SAVITRI DEVI	URXOP	URXOP	Y	M	8893272039	Admitted 15/09/2023 (CLC)
38	0	CLC	130772327526	VIKKY KUSHWAHA	DEV LAL KUSHWAHA	SUMITRA BAI	URXOP	URXOP	Y	M	9630246650	Admitted 15/09/2023 (CLC)
39	0	CLC	130788721503	VIJAY SOLANKI	GHANSHYAM SOLANKI	DHAPU SOLANKI	OBCXOP	OBCXOP	Y	M	9098397870	Admitted 15/09/2023 (CLC)
40	0	CLC	130766208346	DEEPAK SHARMA	MANGILAL SHARMA	KRISHNA SHARMA	URXOP	URXOP	Y	M	9302064450	Admitted 05/09/2023 (CLC)
41	0	CLC	130780737190	ISHA JOSHI	DHARMENDRA JOSHI	ANITA JOSHI	URXF	URXOP	Y	F	8120541289	Admitted 05/09/2023 (CLC)
42	0	CLC	130790646505	PRENA SANTOSH KUMAR KUKREJA	SANTOSH KUMAR KUKREJA	JANTABAI	AIUR	URXOP	N	F	9422676986	Admitted 14/09/2023 (CLC)
43	0	CLC	130787137232	YASHU CHOURASIYA	SURENDRA KUMAR CHOURASIYA	ROOP KUMARI CHOURASIYA	URXF	URXOP	Y	F	8319898943	Admitted 15/09/2023 (CLC)
44	0	CLC	130677306640	RAJ SHARMA	SANJAY SHARMA	PRIYANKA SHARMA	URXOP	URXOP	Y	M	9926456121	Admitted 15/09/2023 (CLC)
45	0	CLC	130766191702	ANSHIKA AGRAWAL	RAJESHOR AGRAWAL	SEEMA AGRAWAL	URXF	URXOP	Y	F	9993502778	Admitted 08/09/2023 (CLC)
46	0	CLC	130774025527	PRATI GUPTA	ARUN GUPTA	JAYSIRI GUPTA	URXF	URXOP	Y	F	8770362794	Admitted 15/09/2023 (CLC)
47	0	CLC	130786854014	AKSHAT SHARMA	SURESH SHARMA	NIHARIKA SHARMA	URXF	URXOP	Y	F	9691621814	Admitted 14/09/2023 (CLC)



Dr. N. K. Jaiswal
Head, Dept. of Management
Indore Institute of Management & Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
Indore (M.P.)



48	0	CLC	130709934151	RAJAT SONI	BHUPENDRA KUMAR SONI	BIHARTI SONI	OBCXOP/OBCXOPY	M	7610647516	Admitted 05/09/2023 (CLC)
49	0	CLC	130762122683	JYOTI GURJAR	MOHAN LAL	MANU BAL	OBCXF OBCXOPY	F	9675620568	Admitted 05/09/2023 (CLC)
50	0	CLC	130763260661	YASHASWEE RATHORE	PRAKASH SINGH RATHORE	SHOBHA RATHORE	URXF	F	6205116642	Admitted 15/09/2023 (CLC)
51	0	CLC	130764811532	JAY HARIDYA	MANOJ HARIDYIA	USHA HARIDYA	OBCXOP/OBCXOPY	M	8770163881	Admitted 05/09/2023 (CLC)
52	0	CLC	130782636005	VAISHNAVI SINGH	MAHENDRA SINGH	ANJANA SINGH	URXF	F	8269990448	Admitted 15/09/2023 (CLC)
53	0	CLC	130707285216	DARSHIKA PATIDAR	JITENDRA PATIDAR	CHANCHALA PATIDAR	AJUR	F	9098566614	Admitted 06/09/2023 (CLC)
54	0	CLC	130788306400	SHIVANGI PATIDAR	BALRAM PATIDAR	NIRMALA PATIDAR	URXF	F	8959598127	Admitted 15/09/2023 (CLC)
55	0	CLC	130805442805	SANJAY VIRLAY	NARAYAN VIRLAY	KASTURI VIRLAY	STXOP	M	7247389706	Admitted 20/10/2023 (CLC)
56	0	CLC	130690033634	PRIYA JAISHWAL	SATYAM	RADHA	OBCXF	F	8435450400	Admitted 19/10/2023 (CLC)
57	0	CLC	130765414208	ASHISH KUMAR SINGH	ARVIND SINGH	ANITA SINGH	URXOP	M	9644700970	Admitted 06/09/2023 (CLC)
58	0	CLC	130786217201	SALONI YADAV	HARISH YADAV	DEEPA YADAV	URXF	F	8989067801	Admitted 15/09/2023 (CLC)
59	0	CLC	130799306820	SAKSHI PATIDAR	NARAYAN PATIDAR	NIRMALA PATIDAR	OBCXF	F	8103668986	Admitted 14/09/2023 (CLC)
60	0	CLC	130813807080	CHEETAN PATIAR	YOGENDRA PATHAK	SUNITA PATHAK	URXOP	M	7049470531	Admitted 30/10/2023 (CLC)
61	0	CLC	130738035061	AYUSHI PATWA	SHV BAHOR PATWA	GEETA PATWA	OBCXF	F	8305620938	Admitted 15/09/2023 (CLC)
62	0	CLC	130772312371	WASIM KHAN	ASLAM KHAN	SHAHIDA BEE	AJUR	M	9755753352	Admitted 15/09/2023 (CLC)
63	0	CLC	130780110534	RUPAL YADAV	RAKESH YADAV	RAJNI YADAV	URXF	F	9685233507	Admitted 15/09/2023 (CLC)
64	1	96	130653855818	ARUNDHATI DEHADRAYA	MAHESH DEHADRAYA	PRAGATI DEHADRAYA	URXF	F	9340913493	Admitted 25/08/2023 (Qualifying Exam Based Round)
65	221	79.209234	MP07040241	MANASVI JOSHI	MR. DHARMESH JOSHI	MRS. ANJU JOSHI	URXF	F	9770574291	Admitted 01/09/2023 (Second Round)
66	270	82.56	130690778993	PALLAVI PATEL	KISHAN PATEL	MAYA PATEL	OBCXF	F	7898207125	Admitted 26/08/2023 (Qualifying Exam Based Round)
67	288	82.2105	130685812669	NEHA SHEKHAWAT	MAHENDRA SINGH SHEKHAWAT	SAROJ KANWAR	URXOP	F	7987738999	Admitted 01/09/2023 (Qualifying Exam Based Round)
68	592	79.6667	130715048521	SONALI MISHRA	VINDIESHWAR PRASAD MISHRA	KAVLA MISHRA	URXF	F	9131024780	Admitted 30/08/2023 (Qualifying Exam Based Round)
69	674	53.1009456	MP08010163	SANSKAR VYAS	DHEERAJ VYAS	JHAVNA PANDIT	AJUR	M	9575080376	Admitted 13/08/2023 (Qualifying Exam Based Round)

Dr. Pratik Singh
Principal, Indore Institute of Management & Research
Indore-491001 (M.P.)

Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)





70	677	79.1111	130689864120	NETAL ACHIARYA	MAITENDRA ACHIARYA	PRATIBHA ACHIARYA	URXF	URXOP	Y	F	8770758638	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
71	846	56.496039	MP08050282	DIKSHA	SARANG DHAR DWIVEDI	PANCHWATI DWIVEDI	URXF	URXOP	Y	F	747722181	Admitted 26/08/2023	(Second Round)
72	847	56.496039	MP07020256	AMISHA PATIL	RAVI PATIL	RANJANA PATIL	SCXF	SCXOP	Y	F	9893949120	Admitted 26/08/2023	(Second Round)
73	914	43.2869078	MP07070155	OSHIMA NAGAR	PANKAJ NAGAR	NEETA NAGAR	URXF	URXOP	Y	F	9164891866	Admitted 26/08/2023	(Second Round)
74	1033	77.4167	130692716369	NOVITA CHOCHAN	RAJESH CHOCHAN	PINKY CHOCHAN	SCXF	URXOP	Y	F	9129290781	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
75	1051	77.3611	130709063933	ASHWINI PATIDAR	PRAVEEN PATIDAR	ANJANA PATIDAR	OBCXF	URXOP	Y	F	8770956499	Admitted 29/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
76	1143	77	130705262727	MUSKAN ZAMINDAR	AJAY ZAMINDAR	MANISHA ZAMINDAR	URXF	URXOP	Y	F	7000324312	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
77	1194	76.8333	130701405653	SANSKRITI MITTAL	RAJESH MITTAL	HEMLATA MITTAL	URXF	URXOP	Y	F	7722919544	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
78	1278	22.6093304	MP07680059	ISHIKA SHARMA	RAKESH SHARMA	RAKHI SHARMA	URXF	EWS	Y	F	7024991858	Admitted 29/08/2023	(Second Round)
79	1290	76.5185	130746107485	ANULI HAQUE QURESHI	IRFAN MOHAMMAD QURESHI	RAFAT QURESHI	OBCXOP	URXOP	Y	M	9928047689	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
80	1324	19.5467516	MP07170234	PRASHANT RAGHUWANSHI	RAJESH RAGHUWANSHI	REENA RAGHUWANSHI	URXOP	URXOP	Y	M	6264143597	Admitted 26/08/2023	(Second Round)
81	1408	14.9711328	MP08020024	ANJALI SHUKLA	VINEET KUMAR SHUKLA	KUMARI SHUKLA	URXF	EWS	Y	F	8827663371	Admitted 26/08/2023	(Second Round)
82	1408	76.0741	130700053810	TANVI NAIK	TARUN NAIK	SONALIKA	URXF	URXOP	Y	F	7987747864	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
83	1469	75.8333	130747561689	ABHISHEK MALVIYA	RAM SINGH	YASHODA	SCXOP	URXOP	Y	M	8461852030	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
84	1511	75.7037	130688619397	AYUSH PAL	RAJENDRA PAL	SAMARPANA PAL	OBCXOP	URXOP	Y	M	9260097319	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)

Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road, RAU, INDORE (M.P.)





Indore Institute of Management & Research

Affiliated to - DAVV(Indore) & Approved by - AICTE(New Delhi)

Sl. No.	MAHIMA BEERANWAR	LALIT BEERANWAR	TARAN BEERANWAR	OBCXF	OBCXOP	F	9174483485	Admitted/Exam Based Round
85	1532 6.8783598	MAHIMA BEERANWAR	LALIT BEERANWAR	OBCXF	OBCXOP	F	9174483485	Admitted/Exam Based Round
86	1779 4.6074729	SAHIL LIKHAR	RAKESH LIKHAR	URXF	URXOP	M	7089051234	Admitted/Exam Based Round
87	1811 73.9	MANDAKINI TIWARI	SHITENDRA	URXF	URXOP	F	8285611246	Admitted/Exam Based Round
88	1939 74.5833	VISHAL PARMAR	VINOD PARMAR	OBCXOP	URXOP	M	9516282122	Admitted/Exam Based Round
89	1974 74.5	SANSKRITI MISHRA	DHEERAJ MISHRA	URXF	URXOP	F	9131548938	Admitted/Exam Based Round
90	2039 74.3333	BEHMIKA RAMCHANDANI	BHAGWAN DAS RAMCHANDANI	URXOP	URXOP	M	9755244780	Admitted/Exam Based Round
91	2259 73.7222	ANUSHIKA RAGHUWANSHI	BRUNOJAN RAGHUWANSHI	URXF	URXOP	F	8103775718	Admitted/Exam Based Round
92	2360 26.9626385	PRAGYA PALIWAL	AJAY PALIWAL	URXF	URXOP	F	7974005057	Admitted/Exam Based Round
93	2404 73.5	MANISH PRAJAPAT	OMPRAKASH PRAJAPAT	OBCXOP	URXOP	M	95384448871	Admitted/Exam Based Round
94	2506 73.25	SHAURYA TIWARI	BJAJ BHUSHAN TIWARI	AJUR	URXOP	M	9001081839	Admitted/Exam Based Round
95	2513 20.9807506	NRISINGH DHAR DWIVEDI	NARAYAN PRASAD DWIVEDI	URXOP	URXOP	M	9691695478	Admitted/Exam Based Round
96	2549 19.2386278	ARPIT SINGH BAGHEL	RAJKUNAR SINGH BAGHEL	URXOP	URXOP	M	6232750868	Admitted/Exam Based Round
97	2611 16.8763666	AAYUSH PANJARE	VINOD PANJARE	OBCXOP	OBCXOP	M	7470411216	Admitted/Exam Based Round
98	2700 72.8333	PURVA JOSHI	AVINASH JOSHI	URXF	URXOP	F	8817138771	Admitted/Exam Based Round
99	2837 8.0496383	CHETAN SINGH THAKUR	PREM SINGH THAKUR	URXOP	URXOP	M	9479836182	Admitted/Exam Based Round



Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, INDORE (M.P.)



100	3209	71-9167	130747040458	NIVEDITA DHOO/NILESH	ANITA	URXF	URXOP	Y	F	7477036596	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
101	3307	71-7037	130690537856	SANGEETA RANA LOKENDRA	DIANA	URXF	URXOP	Y	F	8982916472	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
102	3331	71-6944	130725064262	SAKSHI-MISHRA RAMESH MISTRA	DAYAVANHI MISTRA	URXF	URXOP	Y	F	7869053920	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
103	3367	71-6296	130690864743	AKSHPREET KAUR RAKHRA HARBAN SINGH RAKHRA	MANJEET KAUR RAKHRA	URXF	EWS	Y	F	7869994508	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
104	3431	71-52	130701806532	IRISHITA SHARMA HARISH SHARMA	REKHA SHARMA	URXF	URXOP	Y	F	7987148817	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
105	3517	71-3889	130736060890	VISHAKHA GOHIL BHUPENDRA SINGH GOHIL	JYOTI KUNWAR GOHIL	URXF	URXOP	Y	F	8103834387	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
106	3639	71-1667	130694805912	NIKITA PATEL SUSHIL PATEL	MAYA	OBCXF	URXOP	Y	F	8959315967	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
107	3693	71-04	1306760578-8	KANCHI SHAKYA ARVIND SHAKYA	LAXMI SHAKYA	SCXF	URXOP	Y	F	6207989759	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
108	3813	70-8333	130690583492	REHAN KHAN NABI KHAN	HUSENA BEE	OBCXOP	URXOP	Y	M	8839811495	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
109	3931	70-6667	130690642445	PREM SACHDEV RAJKUMAR	SIMRAN	URXOP	URXOP	Y	M	7987481911	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
110	4139	70-3704	130690134676	SHRUTI WANI PANKAJ WANI	NIDHI WANI	OBCXF	URXOP	Y	F	7693847108	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
111	4512	69-7778	130692810001	HARIRAM KHADAIA SHIRLAL KHADAIA	SIYA KHADAIA	URXOP	URXOP	Y	M	6264152677	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)



Indore Institute of Management & Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)



112	4658	69.5586	130746345916	SALONI VERMA	ANIL VERMA	KIRAN VERMA	SCXF	URXOP	Y	F	9109865870	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
113	4671	69.5586	13069380538	KARNIKA PARASHAR	MANISH PARASHAR	BIHARTEE PARASHAR	URXF	URXOP	Y	F	9589692191	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
114	4717	69.4815	130692585171	MONU GURJAR	HARIOM GURJAR	CHANDA GURJAR	OBCXOP	URXOP	Y	M	9630733428	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
115	4777	69.4074	130692664319	AMAN JAIN	PRABHAT JAIN	ARCHANA JAIN	URXOP	URXOP	Y	M	7610135921	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
116	4842	69.3	130689169311	ROHAN BAGUL	VINOD KUMAR BAGUL	RAISHREE BAGUL	SCXOP	URXOP	Y	M	9302653580	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
117	4939	69.1667	130691621993	RASHI SISODIYA	RAKESH SISODIYA	REENA SISODIYA	OBCXF	URXOP	Y	F	8120873535	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
118	5192	68.8148	130690792159	ANURAG YADAV	SANTOSH	SAROJ	OBCXOP	URXOP	Y	M	6265722793	Admitted 27/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
119	6017	67.7576	130662526336	ADARSH SONI	GOPAL KRISHN SONI	SANGEETA BAI SONI	OBCXOP	URXOP	Y	M	6261274261	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
120	6060	67.7037	130649332001	CHOUHAN	DHEERAJ PAL CHOUHAN	SANGEETA CHOUHAN	SCXF	URXOP	Y	F	9425495310	Admitted 29/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
121	6602	67.0833	130742928506	SWAPNIL VERMA	HARISH SHARMA	REKHA, SHARMA	OBCXOP	URXOP	Y	M	6266419201	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
122	6641	67	130692812338	ABHISHEK TIWARI	RAMBHAGAT TIWARI	SATYAWATI TIWARI	URXOP	URXOP	Y	M	6264026869	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
123	6969	66.5926	130701906386	ABHISHEK SINGH	ARVIND SINGH	VIBHA SINGH	AUR	URXOP	N	F	6263101822	Admitted 29/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)

Principal

Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAI, INDORE (M.P.)





124	6992	66.5833	13069027777	SIDDHARTH SINGH TOMAR	DILIP SINGH TOMAR	MANISHA TOMAR	URXOP	URXOP	Y	M	9425347142	Admitted 30/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
125	7106	66.4167	130693908707	PRATEEK SHARMA	MUKESH SHARMA	SAROJ SHARMA	URXOP	URXOP	Y	M	6261746663	Admitted 30/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
126	7139	66.4167	130724683912	TANVA CHOUHAN	BABULAL	KAMLA BAI	OBCXF	URXOP	Y	F	7509129370	Admitted 29/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
127	7188	66.3333	130692902524	LALIT PANCHAL	RAM CHANDRA PANCHAL	RITA PANCHAL	OBCXOP	URXOP	Y	M	8269681259	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
128	7317	66.1944	130699045908	RIMPY NASHA	KAILASH NASHA	RICHA NASHA	URXF	URXOP	Y	F	9926385468	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
129	7596	65.8889	130725962590	YOGESH PANWAR	KALU PANWAR	BABLI PANWAR	OBCXOP	URXOP	Y	M	9691312216	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
130	7766	65.7037	130690981192	ARJUN MALAKAR	NANDKISHOR MALAKAR	BASANTI MALAKAR	OBCXOP	URXOP	Y	M	9516044122	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
131	7912	65.5152	130690310302	AMAN GOUR	KAMLESH GOUR	SANJU GOUR	OBCXOP	URXOP	Y	M	8461846141	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
132	7978	65.4722	130689990174	PRATEEK PANDEY	RAJESH KUMAR PANDEY	SANJU PANDEY	AIUR	URXOP	N	M	7756916460	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
133	8073	65.3333	130712584197	RITIKA NAYAK	KAMAL SINGH NAYAK	GAYATRI NAYAK	SCXF	URXOP	Y	F	6268629795	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
134	8258	65.1579	130746040447	ROHIT	SUNIL	PUSHPA	OBCXF	URXOP	Y	F	9302416989	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
135	9316	64	130705057752	MANVI JOSHI	DINESH JOSHI	PREETI JOSHI	URXF	URXOP	Y	F	626784620	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)

Principal

Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
PAU, INDORE (M.P.)





136	9406-63.8333	1-0653612814	KRUTIKA SHUKLA	VIPIN SHUKLA	UMA SHUKLA	URXF	URXOP	Y	F	9691841868	Admitted 25/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
137	9553-63.6667	130704283492	ADESH SINGH BHADORIYA	MANOJ SINGH NIADORIYA	VANDANA SINGH BHADORIYA	URXOP	URXOP	Y	M	6263926659	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
138	10025-63.2593	130715955253	FARHAN	SHAKIL	NASIM	OBCXOP	URXOP	Y	M	7000350698	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
139	10093-63.2121	1306691830740	DEVKINANDAN GAUD	NARENDRA	ARCHANA	OBCXOP	URXOP	Y	M	7987451013	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
140	10316-63	130690991821	PRAVEEN RATHOR	RAJENDRA RATHOR	SUNITA RATHOR	OBCXOP	URXOP	Y	M	8120560098	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
141	10529-62.7407	130745214742	AMBIKA PATEL	HUKUMCHAND PATEL	SANTOSH PATEL	OBCXF	URXOP	Y	F	6268374274	Admitted 26/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
142	10575-62.6667	130693689809	PALAK PATIDAR	RAJESHI PATIDAR	BHAVANA PATIADR	OBCXF	URXOP	Y	F	9753836136	Admitted 30/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
143	11392-61.75	130648162291	NISHPREET KAURS CHHADRA	NISHPREET KAURS PARAMJEET SINGH CHHADRA	NAVDEEP KAUR CHHADRA	URXF	URXOP	Y	F	9399531740	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
144	11765-61.3333	1306990113888	PRAVEEN	LAXMAN	SHYAMU	SCXOP	URXOP	Y	M	9540952381	Admitted 28/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
145	11875-61.1667	130690730410	HIMANSHU BATHAM	VIJAY BATHAM	SANGEETA BATHAM	OBCXOP	URXOP	Y	M	8962220278	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)
146	12104-60.9167	130694644969	ASHVINI MAHAJAN	ISHVER MAHAJAN	PUSHPA MAHAJAN	OBCXF	URXOP	Y	F	8305804112	Admitted 01/09/2023	(Qualifying Exam Based Round)
147	13279-59.3571	130689958711	KHYATI ATASNIA	UMESH ATASNIA	PUSHPA ATASNIA	URXF	URXOP	Y	F	8962644658	Admitted 31/08/2023	(Qualifying Exam Based Round)

Principal
Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAI, INDORE (M.P.)





Sl. No.	Roll No.	Name	Registration No.	Qualification	Admission Year	Group	URXOP	Y	M
148	1313200224	SHANKARIAL	13100534004	SEEMA	2017	URXOP	Y		M
149	1313200225	VIPIN GOYAL	13100534005	NARSHAGAYAL	2017	URXOP	Y		F
150	1313200226	SHERHARI	13100534006	MAAMTA SOLANKI	2017	URXOP	Y		M
151	1313200227	SANJAY JOSHI	13100534007	BIHAWANA JOSHI	2017	URXOP	Y		M
152	1313200228	CHANDRA MISHRA	13100534008	SAVITA MISHRA	2017	URXOP	Y		M

[Signature]
Principal
Indore Institute of Management
and Research
Opp. IIM, Pratapnagar Road
DAVV, INDORE (M.P.)





MBA - TFW Admitted Students 2023-24

Indore Institute of Management and Research, Indore

S.No.	Rank	Marks	RollNo	Name	Father	Mother	Category	Allocated	Domicile	Gender	PhoneNo	EWS	Status	Date	Allocated Final Round Status
1	476	63.2092375	MP07050031	GAYATRI CHOUKSEY	SURESH CHOUKSEY	RUPALI CHOUKSEY	OBCXF	URXOP	Y	F	9340448799		Admitted	28/08/2023	(Second Round)
2	764	49.6289924	MP07070394	RUCHI PANDEY	SUNIL PANDEY	LATA PANDEY	URXF	URXOP	Y	F	8103833202		Admitted	28/08/2023	(Second Round)
3	835	72.7885062	MP08010007	KHUSHI GUPTA	SHRI RAM GUPTA	SUNITA GUPTA	URXF	URXOP	Y	F	6264853814		Admitted	11/08/2023	(First Round)
4	897	71.047066	MP06020198	SATYAM SHARMA	RAJESH SHARMA	SEEMA SHARMA	URXOP	URXOP	Y	M	7415951883		Admitted	10/08/2023	(First Round)

[Signature]
Principal
Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)



BBA (FOREIGN TRADE)

Admitted List
 BBA (FT) 2023-24

Department of Higher Education
 Indore

List of Admitted Candidates - BBA (FT) 2023-24
 (College Code: INS1639) Indore Institute of Management and Research, Rau

राजस्थान से संबंधित समस्त जानकारी के लिए एलोकेशन नंबर पर लिख करे।

LICANT ID	Name	Father Name	Allotted Course	Effective Percentage	Mobile No	Eligible Category	Allotted Category	Admitted Round	Admission Status	Enrollment Number	Reported
1.23025E+12	RASHIKA SULE	KUNJILAL SULE	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	60.6	9981294338	OBC/X/F	OBC/X/F	CLC-2	Admitted	19643843	
1.23001E+12	SHRUTI SOLANKI	AJAY SOLANKI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	85	9926139587	OBC/X/F	OBC/X/F	CLC-2	Admitted	294727155	
1.23001E+12	VAIDIK MAHESHWARI	DEVENDRA MAHESHWARI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	85.4	8602732423	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-2	Admitted	234533782	
1.23006E+12	ARCHI PORWAL	SURYA PRAKASH PORWAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	57.2	8253067976	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19642174	
1.23006E+12	HARDIK RAI	CHAMAN RAI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	70.6	9179157108	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19640787	
1.23001E+12	SHRUTI THAKUR	KAMAL THAKUR	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	77.4	6267540428	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19636161	
1.23009E+12	TANISH PANCHAL	MUKESH PANCHAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	76.4	9826874632	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235344671	
1.23009E+12	TUSHAR PANCHAL	GANESH PANCHAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	69	7222996764	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235344643	
1.23031E+12	JIVITA MAHESHWARI	PRAKASH MAHESHWARI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	80	7976211906	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-1	Admitted	235326073	
1.23044E+12	KESHAR	AJAY	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	60	7389669671	SC/X/F	SC/X/F	CLC-1	Admitted	235325354	
1.23025E+12	KRISHNA JAISWAL	RAVI JAISWAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	58.4	9479875753	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	19639845	
1.23044E+12	KUMKUM CHOUHAN	SANJAY CHOUHAN	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	87.78	8982295421	OBC/X/F	OBC/X/F	CLC-1	Admitted	235230520	



Indore Institute of Management and Research

Opp. IIM, Pithampur Road,
 RAU, INDORE (M.P.)



1.23038E+12	KUNDAN PATIDAR	CHANDRASHEKHAR PATIDAR	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	71.8	9109849951	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	235356153
1.23006E+12	SAHIL PATEL	ISHAK MOHAMMAD	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	71	9926111328	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	19640807
1.23039E+12	SHREYA PORWAL	RAJESH PORWAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	77.2	9009736929	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-1	Admitted	235340728
1.23034E+12	YUVIKA KAMRITA	RAVI KAMRITA	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	75.2	9977921906	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	236427338
1.23052E+12	MANAS MALI	POONAM CHANDRA MALI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	62.8	9165344111	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	19601462
1.23082E+12	KAVYA GEHLOT	DIPENDRA GEHLOT	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	69.4	9826098267	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-7	Admitted	19644737
1.23053E+12	ARUSH GAUTAM	VINOD KUMAR GAUTAM	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	81.4	9559046853	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	23755189
1.23039E+12	ASHUTOSH PATEL	GIRIJA PRASAD PATEL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	60.2	8120653694	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	235329618
1.23032E+12	BHAVIKA AWASTHI	AJAY AWASTHI	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	76.4	9301148316	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19619403
1.23029E+12	GOURAV CHOUDHARY	BALRAM CHOUDHARY	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	71.6	9981073555	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	235344583
1.23063E+12	PUSHPENDRA SINGH RATHORE	DILIP SINGH RATHORE	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	71.2	7909410993	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	234332535
1.23065E+12	SAKSHI THAKUR	CHETAN THAKUR	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	59.4	9407290874	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	235328402
1.23001E+12	DHRUV KSHIRSAGAR	MAHESH KSHIRSAGAR	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	49.6	7980068115	SC/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19644116
1.23021E+12	SOUBHAGYA KOUSHAL	SANDEEP KOUSHAL	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	66.6	9977662852	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-5	Admitted	19643428
1.23079E+12	VISHAKHA SHARMA	VIJAY KU SHARMA	C271 - B. B. A. (BBA (Foreign Trade))	75.4	8871058621	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-5	Admitted	19662913



Principal
Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
DAU, INDORE (M.P.)



BBA

Admitted List
BBA - 2023-24

Department of Higher Education
Indore Limited, Indore, Madhya Pradesh

List of Admitted Candidates - BBA 2023-24
(College Code :INS1639) Indore Institute of Management and Research, Rau

Sl. No.	Roll No.	Name	Father Name	Allocated Course	Effective Percentage	Mobile No.	Eligible Category	Allocated Category	Admitted Round	Admission Status	Enrollment Number
1	1.23021E+12	ADITYA PATIDAR	GANESH PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	67	7804997844	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235433903
2	1.23065E+12	AJAY JAIN	AKHILESH JAIN	C029 - B. B. A. (BBA)	83	9179233126	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19617998
3	1.23043E+12	ANSH NAMDEV	RAM MOHAN NAMDEV	C029 - B. B. A. (BBA)	60.6	9340069072	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235231469
4	1.23045E+12	ANSHITA JAIN	DILIP JAIN	C029 - B. B. A. (BBA)	73.4	9977475979	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-2	Admitted	19620846
5	1.23053E+12	ANUKUL KUMAR	SHEKHAR KUMAR	C029 - B. B. A. (BBA)	58.4	9329254440	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-2	Admitted	23545214
6	1.23047E+12	DIYA PATIDAR	VIJAY PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	72.6	9826778312	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	19642869
7	1.23035E+12	HARSHITA PATIDAR	MANOJ PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	68	9993985001	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	19637970
8	1.23027E+12	KHUSHI RAIKWAR	DINESH RAIKWAR	C029 - B. B. A. (BBA)	68	9907553383	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235307089
9	1.23051E+12	NANDINI TIWARI	YOGESH TIWARI	C029 - B. B. A. (BBA)	85.2	8120201918	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-2	Admitted	235336151
10	1.23056E+12	NEHA SAH	JAISHAL SAH	C029 - B. B. A. (BBA)	82.8	9546340898	OBC/X/F	OBC/X/F	CLC-2	Admitted	235231443
11	1.23057E+12	RAGHAV JOSHI	VISHAL JOSHI	C029 - B. B. A. (BBA)	65.6	9171297733	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235359395
12	1.23009E+12	RISHI MEENA	RAJESH MEENA	C029 - B. B. A. (BBA)	77.8	9340629633	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-2	Admitted	236727430
13	1.23038E+12	RITIK RAGHUWANSHI	BHARAT RAGHUWANSHI	C029 - B. B. A. (BBA)	70.4	7725889747	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235296333
14	1.23049E+12	SANDHYA PANCHAL	SUDAMA PANCHAL	C029 - B. B. A. (BBA)	85.8	7470577880	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	225239381
15	1.23076E+12	VAIDIKA VAISHNAV	LATE OMPRakash VAISHNAV	C029 - B. B. A. (BBA)	73.6	9754559139	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-8	Admitted	19643922
16	1.23022E+12	AASTHA MISHRA	AMIT MISHRA	C029 - B. B. A. (BBA)	67.2	9340347628	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19663567
17	1.23015E+12	ADITYA ROY	ROY VARGHESE	C029 - B. B. A. (BBA)	55	9630562701	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19643909
18	1.23061E+12	ANSHUL KUSHWAI	SANTOSH KUSHWAH	C029 - B. B. A. (BBA)	65.2	9033541527	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235231285
19	1.23025E+12	ARPIA PATIDAR	GANESH PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	72.1667	9329438501	OBC/X/F	OBC/X/F	First Round	Admitted	19636434
20	1.23001E+12	DEEPAI KOTHARI	ASHISH KOTHARI	C029 - B. B. A. (BBA)	62.4	6263522163	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19642817
21	1.23013E+12	DRASHTI PORWAL	RAJESH PORWAL	C029 - B. B. A. (BBA)	87.2	6260551567	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	25320127
22	1.23023E+12	HEMANT DUBEY	RAKESH DUBEY	C029 - B. B. A. (BBA)	62.4	9575962977	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19620564
23	1.23023E+12	KRISHNA CHOUHAN	CHANDR/ KANT CHOUHAN	C029 - B. B. A. (BBA)	77	9302484537	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19640789



Indore Institute of Management
and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)



Indore Institute of Management & Research

Affiliated to - DAVV (Indore) & Approved by - AICTE (New Delhi)

1.23023E+12	MAYUR PATIL	SANTOSHI PATIL	CO29 - B. B. A. (BBA)	81.8	8319623660	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235231280
1.23027E+12	MAYURI PAWAR	DIHANRAI PAWAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	57	99933157149	OBC/X/F	OBC/X/F	First Round	Admitted	235231304
1.23030E+12	NIDHIKA PATIDAR	AKKUSH PATIDAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	80.6	9244185277	OBC/X/F	OBC/X/F	First Round	Admitted	19643840
1.23037E+12	PRATHAMA PARIHAR	PRADEEP PARIHAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	75.6	8877784567	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19639373
1.23037E+12	PRAVEN PAWAR	DINKAR PAWAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	60	8871927694	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	216426948
1.23024E+12	PRIYANSHI PARIHAR	NEPAL PARIHAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	86.4	9893900841	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	235355224
1.23011E+12	SAGHAV MAHESHWAR	DEEPAK MURRESHWARI	CO29 - B. B. A. (BBA)	54	9826736016	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19636581
1.23007E+12	RAHUL JAIN	BHUPENDRA JAIN	CO29 - B. B. A. (BBA)	68.8	8827597501	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	205337167
1.23028E+12	RIDDHI JAIN	ASHISH JAIN	CO29 - B. B. A. (BBA)	37.4	7697170877	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	234128434
1.23018E+12	RISHITA RATHORE	LAXMI NARAYAN RATHORE	CO29 - B. B. A. (BBA)	61.5	9589914871	OBC/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19642702
1.23021E+12	RIYA SAHU	NARAYAN PRASAD SAHU	CO29 - B. B. A. (BBA)	63.8	9407417377	OBC/X/F	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235231265
1.23021E+12	SATISH BORANA	DEVRAM BORANA	CO29 - B. B. A. (BBA)	70.4	9754195911	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19656027
1.23018E+12	SHEETA MEHAR	SHYAMLAL MEHAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	57	9039512855	SC/X/F	SC/X/F	First Round	Admitted	235355157
1.23027E+12	SHIVPALSINGH	JUGHU SINGH DHANAWAT	CO29 - B. B. A. (BBA)	81.6	6216137165	OBC/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19642826
1.23021E+12	SWARNALI SINGH	JUGHUN SINGH GURUDATTA	CO29 - B. B. A. (BBA)	75.6	9926034768	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19674942
1.23027E+12	SWARNA GAVSHINDE	GOVIND SINGH GURUDATTA	CO29 - B. B. A. (BBA)	64.4	9343708400	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	1944080
1.23018E+12	TALHA SIDDIQUI	NITIN GANSHINDE	CO29 - B. B. A. (BBA)	78.4	8261950772	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	236626758
1.23002E+12	TANU BISWAS	SHAKIR SIDDIQUI	CO29 - B. B. A. (BBA)	66.6	9752944248	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	235241183
1.23015E+12	VAIBHAV SAXENA	TAPASH KUMAR BISWAS	CO29 - B. B. A. (BBA)	60	3871685431	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235244863
1.23013E+12	YASHASVI RAIKWAR	PRABODH SAXENA	CO29 - B. B. A. (BBA)	88	6261189973	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	19643823
1.23024E+12	ARYAN CHOUKSEY	ASHOK KUMAR RAIKWAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	81.2	7000098714	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	19635596
1.23019E+12	DIYA MUNDRA	ARIJUN CHOUKSEY	CO29 - B. B. A. (BBA)	77.4	6267930331	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	19644299
1.23024E+12	JAYDEEP PATIDAR	PRADEEP MUNDRA	CO29 - B. B. A. (BBA)	75.8	7692977957	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	19620559
1.23024E+12	KARAN DHAKAD	SHIVRAM PATIDAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	72.4	8103771962	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	235336703
1.23027E+12	MAYANK MALI	KISHORE DHAKAD	CO29 - B. B. A. (BBA)	64.4	9826723002	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	19637981
1.23032E+12	NANDINI PATIDAR	MANOJ MALI	CO29 - B. B. A. (BBA)	66.6	9926703545	OBC/X/F	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	19642878
1.23043E+12	RAGNI GUPTA	SANJAY PATIDAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	66	9109612683	OBC/X/F	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	235352015
1.23043E+12	RINKI GUPTA	BHANUPRATAP GUPTA	CO29 - B. B. A. (BBA)	67.2	8120673026	OBC/X/F	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	235352106
1.23038E+12	RISHI	BHANUPRATAP GUPTA	CO29 - B. B. A. (BBA)	62.6	6261834437	OBC/X/M	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	235627443
1.23044E+12	SHRADDHA RATHORE	BALJIRAM	CO29 - B. B. A. (BBA)	77.4	9098525266	OBC/X/F	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	234435514
1.23037E+12	TOSHI TIWARI	RAHUL RATHORE	CO29 - B. B. A. (BBA)	66.8	7000622164	GEN/X/F	OBC/X/OP	CLC-1	Admitted	225338246
1.23024E+12	VIRENDRA PARIHAR	MITESH TIWARI	CO29 - B. B. A. (BBA)	83	6263227627	EWS/X/F	EWS/X/F	CLC-1	Admitted	235355220
1.23081E+12	CHETNA VERMA	NEPAL PARIHAR	CO29 - B. B. A. (BBA)	61	9826736016	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	5.30223E+11
		RAJESH VERMA	CO29 - B. B. A. (BBA)			GEN/X/OP	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	

Principal
Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
G.A.U., INDORE (M.P.)





1.23069E+12	DIRUV PAWAR	PAPPU PAWAR	C029 - B. B. A. (BBA)	80.2	7987662642	SC/M	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	235231326
1.23018E+12	HITESH PATIDAR	ANIL PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	85.4	8821821800	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	19643831
1.2308E+12	ISHIKA PANCHOLI	SATYANARAN PANCHOLI	C029 - B. B. A. (BBA)	72.2	7415436204	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	19659875
1.2302E+12	PALAK YADAV	MAHENDRA YADAV	C029 - B. B. A. (BBA)	86	8817605517	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	235230717
1.2304E+12	PRIVANSHI	KANHAIYALAL	C029 - B. B. A. (BBA)	78.2	8927510800	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-6	Admitted	19662250
1.23083E+12	NILESH SINGH SUNER	MOHAN SINGH SUNER	C029 - B. B. A. (BBA)	62.8	9098325740	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-7	Admitted	23529547
1.23059E+12	ARVIND LULANI	GIRISH LULANI	C029 - B. B. A. (BBA)	71	7987445736	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19639440
1.23066E+12	HRIK CHOUHAN	RAJESH CHOUHAN	C029 - B. B. A. (BBA)	74	7388543005	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	235244830
1.23042E+12	JATIN YADAV	RAM NARESH YADAV	C029 - B. B. A. (BBA)	66	7724075470	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19644925
1.23065E+12	KHUSHBOO NAVLANI	UMESH NAVLANI	C029 - B. B. A. (BBA)	64.4	7987116259	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19642190
1.23064E+12	KHUSHI TANWAR	MAUKHAN TANWAR	C029 - B. B. A. (BBA)	72	9302792142	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19639366
1.23051E+12	LARDHI KOTHARI	RAKESH KOTHARI	C029 - B. B. A. (BBA)	63.2	9826443195	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19138988
1.23021E+12	MANA'S PATIDAR	AJAY PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	72.6	8839692992	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19655317
1.23063E+12	PARV MAHESHWARI	PRASHANT MAHESHWARI	C029 - B. B. A. (BBA)	66.8	6232969777	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19639453
1.23057E+12	RASHI KELOTRA	MANOJ KELOTRA	C029 - B. B. A. (BBA)	64.4	7990049914	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19643842
1.23025E+12	KUDRA POKHAR	RAKESH SINGH SOLANKI	C029 - B. B. A. (BBA)	67.2	8817485154	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19630296
1.23065E+12	SANIKA NIMJE	MAHENDRA NIMJE	C029 - B. B. A. (BBA)	78.4	9098960441	ST/M/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19643844
1.23066E+12	SHILPA SINGH	YOGRAJ SINGH	C029 - B. B. A. (BBA)	71.5	6265717926	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19665597
1.23066E+12	YASH PATEL	KISHORE PATEL	C029 - B. B. A. (BBA)	70	8085830296	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	235344225
1.23036E+12	YASH PATIDAR	MUKESH PATIDAR	C029 - B. B. A. (BBA)	64	9109220225	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	23539270
1.23073E+12	ANUSHREE RAI	DHARMENDRA RAI	C029 - B. B. A. (BBA)	85	8815325532	OBC/X/F	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19649112
23073E+12	ASHISH PARAS	KAMAL PARAS	C029 - B. B. A. (BBA)	71.4	9098660067	SC/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	235231453
2061E+12	DIRUV SHARMA	VIVEK SHARMA	C029 - B. B. A. (BBA)	70.8	7354681135	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19662276
2072E+12	MARSHAL TIWARI	PAWAN TIWARI	C029 - B. B. A. (BBA)	63	8319324118	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19634144
23062E+12	HIMANSHU CHOURE	RAMKRISHNA CHOURE	C029 - B. B. A. (BBA)	77	9340026130	SC/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	235231344
1.23027E+12	KARTIK MALVIYA	MAHESH MALVIYA	C029 - B. B. A. (BBA)	73.8	7828934101	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	236626605
1.2307E+12	PIYUSH CHOUDHARY	LAKHAN CHOUDHARY	C029 - B. B. A. (BBA)	68.6	9754846447	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	225230304
1.23064E+12	SHRISHTI GOYAL	PRAFUL GOYAL	C029 - B. B. A. (BBA)	82.8	8889820125	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19639202
1.23067E+12	VEDANSH RAI	MUKESH RAI	C029 - B. B. A. (BBA)	66.4	7024669415	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19642211
1.23069E+12	VIVEK KUSHWAH	RAMKARAN KUSHWAH	C029 - B. B. A. (BBA)	70.2	9770156907	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	19122876
1.23048E+12	ANNU MISHRA	SHAIENDRA	C029 - B. B. A. (BBA)	65.6	8400671773	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-5	Admitted	235359056
1.23077E+12	ANSHPREET KAUR	SATWINDAR SINGH	C029 - B. B. A. (BBA)	88.1667	7067870305	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-5	Admitted	19627347
1.2306E+12	ASHWIN CHOUDHARY	VINOD	C029 - B. B. A. (BBA)	62.8	7987445736	OBC/X/M	GEN/X/OP	CLC-5	Admitted	235345601



Indore Institute of Management and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)



Roll No.	Name	Program	Percentage	Registration No.	Category	Level	Admitted	Contact No.
1.23069E+12	HARSH JAIN	CO29 - B. B. A. (BBA)	60.4	3893294456	GEN	CLC-5	Admitted	19630947
1.23077E+12	ISHIKA SINGH	CO29 - B. B. A. (BBA)	62.6	9893400525	GEN/X/F	CLC-5	Admitted	19634600
1.23078E+12	VANSHIKA AGRAWAL	CO29 - B. B. A. (BBA)	65.6	9754138888	GEN/X/F	CLC-5	Admitted	19632427
1.23077E+12	VINAMRA BATHORE	CO29 - B. B. A. (BBA)	77.2	9589446021	OBC/X/M	CLC-5	Admitted	235635599

[Signature]
Principal
Indore Institute of Management
and Research
Opp. IIM, Pithampur Road,
RAU, INDORE (M.P.)





Indore Institute of Management & Research
 Affiliated to - DAVV(Indore) & Approved by - AICTE(New Delhi)

B. COM

Advt. Etal. Set
 B-Com (2023-24)

Department of Higher Education
 Online Limitedhya Pradesh



List of Admitted Candidates — B-Com (2023-24)
 (College Code :INS1639) Indore Institute of Management and Research, Rau

आवृत्त के नाम के अनुसार व्यवस्थित है।
 प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एडमिशन नंबर पर प्रिंटिक करें।

Reported

Roll No.	Name	Father Name	Allotted Course	Effective Percentage	Mobile No.	Eligible Category	Allotted Category	Admitted Round	Admission Status	Enrollment Number
1.23021E+12	CHETNA GUPTA	MITHILESH GUPTA	CO32 - B. Com (Commerce)	85.6	9753807022	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-2	Admitted	196401945
1.23021E+12	GOPAL TUNAR	SARDAR TOMAR	CO32 - B. Com (Commerce)	86	8815630691	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-2	Admitted	235629316
1.23021E+12	SALONI PATEL	DINESH PATEL	CO32 - B. Com (Commerce)	86.2	9754700745	GEN/X/F	GEN/X/F	CLC-2	Admitted	2352410
1.23021E+12	LUKISH SHARMA	RUPESH SHARMA	CO32 - B. Com (Commerce)	64.8	9981806998	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235244756
1.23021E+12	OM SONI	SANJAY SONI	CO32 - B. Com (Commerce)	79.4	7879547375	OBCA/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	235429335
1.23021E+12	PRIYA MALLAH	JAYPRAKASH MALLAH	CO32 - B. Com (Commerce)	68	8085777577	OBCA/F	OBCA/F	First Round	Admitted	235225492
1.23021E+12	SHIVAM AGRAWAL	MANISH AGRAWAL	CO32 - B. Com (Commerce)	77.4	7999936713	GEN/X/M	GEN/X/OP	First Round	Admitted	19644911
1.23021E+12	SYA SHARMA	LOKENDRA SHARMA	CO32 - B. Com (Commerce)	81.8	9826617758	GEN/X/F	GEN/X/F	First Round	Admitted	235241152
1.23021E+12	KASHISH SINGH	LOKNAATH SINGH	CO32 - B. Com (Commerce)	74	7073525491	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-1	Admitted	23020026
1.23021E+12	NIKHIL MEENA	DILIP SINGH MEENA	CO32 - B. Com (Commerce)	68	7389638464	OBCA/M	OBCA/OP	CLC-1	Admitted	236427016
1.23042E+12	NAVASHI MITTAL	ADY MITTAL	CO32 - B. Com (Commerce)	78.2	9096699337	GEN/X/F	GEN/X/OP	CLC-7	Admitted	19543817
1.2306E+12	RAHUL PRAJAPATI	RAM PRASAD	CO32 - B. Com (Commerce)	66.2	7426017130	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	214700605
1.23029E+12	SUJAL BEDI	VIKAS BEDI	CO32 - B. Com (Commerce)	54.4	8982580111	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-3	Admitted	19644998
1.23043E+12	AVINASH DHAKAR	SURESH CHANDRA DHAKAR	CO32 - B. Com (Commerce)	55	9644606004	OBCA/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	231433760
1.23069E+12	HARISHWARDHAN SHARMA	AKHILESH SHARMA	CO32 - B. Com (Commerce)	80.2	9893512179	GEN/X/M	GEN/X/OP	CLC-4	Admitted	235359046

(Signature)
 Principal
 Indore Institute of Management
 and Research
 Opp. IIM, Pithampur Road,
 RAU, INDORE (M.P.)



Admission Rules & GuideLines for reserved categories 2023-2024

MBA

Rules for Admission to MBA (FT) and Allied Courses in Private Institution in M.P.

Session 2023-24

RULES FOR ADMISSION TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) AND ALLIED COURSES IN A.I.C.T.E. APPROVED PRIVATE INSTITUTIONS IN MP AS PER THE PROVISIONS MADE IN MADHYA PRADESH NIJI VYAVASAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007 NO. 21. AND THE RULES PUBLISHED IN MADHYA PRADESH GAZETTE DATED 15 APRIL 2008 (As ammended).

2.1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called Admission Rules, 2008.
- (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2.2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires –

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);
- (b) "Appropriate Authority" means Authority as defined in clause (a) of section 3 of the Act;
- (c) "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;
- (d) "AICTE" means All India Council of Technical Education, statutory body established by All India Council of Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- (e) "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;
- (f) "Course" means any course, the nomenclature of which is approved by the appropriate authority and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution (like B.E. Electrical, B.E. Mechanical, MCA, MBA, D Pharma etc.).
- (g) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf (i.e. commissioner Technical Education, M.P. in this case);
- (h) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;
- (i) "NRI" means Non-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (j) "Principal" means Head of institution;
- (k) "Private Unaided Professional educational Institution" means professional educational institutions which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any Public body;



- (l) "Professional Educational Institution" means a college or a school or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to state university including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed to be university under section 3 of University Grant Commission Act, 1956 (3 of 1956), and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;
- (m) "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant Professional Courses as prescribed in these rules;
- (n) "CMAT" means Common Management Admission Test;
- (o) "TFW" means Tuition Fee Waiver seats.
- (p) "EWS" means Economical Weaker Section of Madhya Pradesh.

The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Other Abbreviations Used In This Rule Book Are:-

- (i) "CTE" means commissioner Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (ii) "RGPV" means Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishvavidhyalaya, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (iii) "General Pool" means after provision of 5% seats to NRI candidates remaining 95% seats shall be called General Pool Seats [in which reservation for SC, ST & OBC (Excluding Creamy layer) will be available for M.P. Domicile candidates as per govt. notification]

2.3. Applicability:

These rules shall be applicable to private unaided professional institutions which are conducting MBA (FT) courses as approved by the AICTE.

2.4. Admission rules -

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

2.4.1 Availability of seats -

Number of seats available in various management institutions in Madhya Pradesh are as follows:

S.No.	Type of Institutions	Percentage of Intake capacity
1	Private Institutions. Only those institutions, which have got permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	95% General Pool Seats 5% NRI Seats (NRI seats if not filled then converted into General Pool Seats)
2	Private Institutions. Only those institutions, which have not received permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	100% General Pool Seats

Note:

- (1) Approved intake capacity available in various professional educational institutions shall be available on the website (<https://dte.mponline.gov.in>) of the Competent Authority conducting counselling.



- (2) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied or permission to start second shift in existing institution is granted by the appropriate authority on or before **30th June** of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.
- (2.1) If extension of approval by aicte and affiliation by concerned university does not provided to the existing institution/course then such institution will not be included in the counselling.

2.4.2 Reservation of seats –

In every institution 16%, 20% and 14% seats of General pool shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST and OBC categories (excluding creamy layer) respectively as notified by the state government in this regard.

NOTE:

- (i) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (ii) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/ certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of counselling.

2.4.2.1 Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate from the competent authority in **Proforma-1 (Annexure-1)** as given in this rule book. (Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 01-08-1996) and as per latest order issued by the Govt. of M.P.

2.4.2.2 OBC category of Madhya Pradesh

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate issued by the competent authority in **Proforma-2 (Annexure-2)** as given in the rule book. (Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ. प्र./1, भोपाल, दिनांक 12.03.1997 and order no. F-7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 06.07.2000 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate regarding his/her family's income from the Competent Authority or Income certificate as prescribed by GAD, Government of M.P. by his circular no. सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014. **Proforma-10 (Annexure-3)**, and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before **30th April, 2020**.

2.4.3 J&K Migrant's Seats:

One seat, on over and above basis, in each of the Institution is reserved for J&K migrants. The admission shall be given on the basis of merit as decided by the CMAT 2023 test conducted by National testing Agency (NTA). The candidate shall have to produce a certificate as given in **Proforma-7 (Annexure-4)** duly signed by competent authority.



Sons/daughters of the employees of MP Government who have served in the State of Jammu & Kashmir for curbing insurgency are also covered under the J&K migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the State of J&K. Candidates shall have to produce a certificate in **Proforma-8 (Annexure-5)** of this rule book at the time of Counselling.

2.4.4 J&K Resident's Seats:-

One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu & Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to appear in CMAT 2023 test National Testing Agency (NTA) and submit appropriate certificate issued by the competent Authority. These seats shall be considered under General Pool.

2.4.5 NRI Seats:

Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 19th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

2.4.6 Tuition Fee Waiver Scheme Seats (TFW)

Under this scheme, upto a maximum of 5% of "Approved Intake" in MBA Course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumery in nature. These supernumery seats shall be available in MBA Institution, where a minimum of 50% of "Approved Intake" are filled up in previous session.

These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidate whose family annual income from all sources should not be more than ₹ 8.00 Lac (Rupees Eight Lac Only).

The Tuition Fee Waiver scheme is limited to the tuition fee as approved by the State Govt. for the Govt./ Govt. Aided/ Autonomous Institutions and in case of private institutions tuition fee approved by the Admission & Fee Regulatory Committee, Madhya Pradesh. All other fees shall have to be paid by the Candidate.

In case of unavailability of the candidates for these seats; these seats will not be convert for others.

Admission for these seats will be done by centralized Counseling only and admission procedure for these seats will be same as notified by the competent authority for regular admission. The candidates of Madhya Pradesh will be eligible for admission on these seats.

2.4.7 Reservation for Economical weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh:-

As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 July 2019, Ten Percent (10 %) Seats of approved intake will be available for admission in MBA institutes for Economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh. These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidate whose family annual income from all sources should not be more than ₹ 8.00 Lac (Rupees Eight Lac Only).

A candidate claiming for Economical weaker section (EWS) Seat shall have to produce a certificate from the competent authority in **Proforma-**



11 (Annexure-B) as given in this rule book, As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/ 2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 July 2019 and latest order issued by the Govt. of M.P. regarding Economical weaker section (EWS).

2.5 Eligibility for admission –

2.5.1 The Candidates should be an Indian National.

2.5.2 Educational Qualifications:

2.5.2.1 MBA (Full Time) & ALLIED COURSES:

A candidate seeking admission to MBA and Allied Courses should be a Graduate with at least 50% marks and 45% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate of any UGC/AICTE approved Indian University or from a foreign University recognized by Association of Indian Universities (AIU) or institute recognized by the concerned University as equivalent thereto. The Bachelor's degree must be of minimum three years duration after passing Higher Secondary (10+2) examination of (10+2) system or equivalent.

NOTE :- Candidates in the Final year of above degree examination can also appear in the CMAT 2023 test on provisional basis. Such a candidate shall have to produce the original certificate "having passed/mark sheet" showing aggregate marks of the degree program at the time of counselling; however, candidate shall have to fill all the entries of qualifying examination at the time of counselling registration.

2.5.3 Domicile Requirements:

No candidate belonging to SC, ST & OBC (Excluding Creamy Layer) category shall be selected for admission against the seats reserved for them unless;

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 (Annexure-6) या मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 25/09/2014 अनुसार स्थानीय निवासी हेतु त्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (अस्थापित कागज पर) प्रारूप-6 (अ) (Annexure-7) अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 Manner of Admission – Through a common entrance test conducted by an agency authorized by the State or Central Government. Authorized agency shall prepare and notify merit list on the basis of marks obtained by candidates in common entrance test.

2.7 Procedure of Admission

2.7.1 Online Offcampus Admission Procedure:

The competent authority declared by the State Government for online off campus counseling, shall finalize the detailed programme and shall make it



available on its website declaring its procedure, process of admission and deferent cut off dates. Procedure of Online Off Campus Counselling will be followed as per the regulation published in MP Government Gazette dated 15th April, 2008 (As ammended) for Online Off Campus Counselling.

2.7.2 Admission against Non Resident Indian Seats:

2.7.2.1 Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 15th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

2.7.2.2 Conversion of vacant Non - resident Indian seats:

Vacant non-resident Indian seats i.e. unfilled non-resident Indian seats shall be merged into General Pool seats by competent authority, before commencement of centralized counselling.

2.8 Conducting of Common Entrance Test

A Common Entrance Test shall be conducted by National testing Agency (NTA) for MBA & Allied Courses.

2.8.1 MBA & ALLIED COURSES (Full Time):

An entrance test "COMMON MANAGEMENT ADMISSION TEST" (CMAT 2023), shall be conducted by National testing Agency (NTA) for selection of candidates for admission to Management and Allied courses.

2.8.2 Common Merit Lists

National testing Agency (NTA) shall prepare and notify common merit lists of CMAT 2023 on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test. Admission shall be done by the Counselling Authority through Counselling on the basis of common merit lists provided by the National testing Agency (NTA).

2.8.3 General Information of admission:

2.8.3.1 Admission in MBA against M.P. domiciled candidate seats, All India Seats, J&K Resident/Migrant Seats shall be done through Counselling on the basis of common merit lists provided by the National testing Agency (NTA) of CMAT 2023.

2.8.3.2 Admission shall be done through Counselling on the basis of the common ranking list declared National testing Agency (NTA). The programme of Counselling shall be published in various news papers and shall also be available on website of competent authority/Director Technical Education, M.P. Bhopal i.e. <https://dte.mponline.gov.in>. No separate call letters shall be sent to the candidates.

2.8.3.3 Original Documents:

During the Counselling process the original documents presented by the candidates shall be verified with originals and original documents will be returned back to the candidates. However candidates need not to submit such original documents in the admitted institutions.

2.8.3.4 Transfer of institution during the course shall not be permitted.



2.8.3.5 Admissions in First year shall be completed on or before the last date declared by the Competent Authority.

2.9 The sequence of admission shall be as under:

2.9.1 Admission on NRI seats shall be done by the Competent Authority through Centralised Counselling for those institutions that have got permission from Appropriate Authority to fill 5% of the sanctioned intake by NRI candidates only. These seats shall be filled as per the procedure and schedule notified by competent authority and any remaining vacant seats shall be filled by centralised counselling after merging them into general pool seats.

2.9.2 In the counselling of general pool, first candidates of reserved categories shall be called in the following order, so that vacant reserved seats can be mutually converted :-

Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Scheduled Tribes/Scheduled Castes.

After conducting counselling of reserved category candidates, as per above order, vacant seats, if any, shall be merged into the unreserved seats and then counselling for unreserved seats shall be conducted.

2.9.3 Candidates of reserved category who find place in the merit list of unreserved category will also be considered in the allotment of seats under unreserved category. They will be given seat of their preference from reserved or unreserved category in which they are getting better choice. Such candidates of reserved category who are allotted seats from unreserved category shall be counted in the unreserved category.

2.9.4 If the seats remains vacant after the first round of counselling held on the basis of merit of common entrance test then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority keeping in view the number of vacant seats for a particular course and approximate number of candidates willing for admission. In the counselling of qualifying examination all the available seats shall be presumed to be under unreserved seats and the allotment shall be made accordingly on the basis of a joint merit list of candidates of all categories.

2.9.5 If, after aforesaid round of counselling seats still remains vacant, they shall be filled as mentioned in the Admission Rules-2008 (As amended) and/or counselling procedure declared by the Competent Authority.

Note:-

1. Candidates securing equal marks in qualifying examination, Preference will be given to the older age candidate. If secure marks and age are same then the merit will be decided on the basis of English alphabates order of candidates name.
2. All such candidate who has passed qualifying examination with grace marks are also eligible for admission, but grace marks will not be included for minimum percentage condition mentioned above.
3. All such candidate whose qualifying examination marksheet are based on grading system has to produce conversion of grade to marks as per the conversion formula of their University.



2.10 Cancellation of Admission:

- (1) If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Principal of the institution or by Competent Authority.
- (2) In compliance to the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi, Last date of admission is 14 August. Although the last date of admission will be as per AICTE calendar for session 2023-24.
- (3) Vacancy arising (in particular class/category/compartments) due to cancellation of admission or due to non reporting of candidates by the stipulated date (as declared by the Competent Authority) in a particular Institution, shall be considered in the counselling in the following manner:-
During the counselling, if seats are available, in that particular course, vacancy/vacancies arising due to above reasons shall be added directly to existing vacancy/vacancies and shall be available for allotment.
- (4) After the last date of admission, cancellation of admission shall only be done by the institution.

2.11 Tuition and other Fees:

Tuition and other fees shall be as prescribed by the Admission and Fees Regulatory Committee.

2.12 Modification to rules/procedures:

The State Government of Madhya Pradesh reserved the rights to amend any provision / rules/ procedure for admission after due consultation from admission and fee regulatory committee to ensure fair and transparent admission procedure and any modification so made shall be binding.

- 2.13** A candidate aggrieved with any contravention on the part of the Agency or any contravention of the provisions of the Act could make an application to the Committee pinpointing the cause of action and alleged lapse in following the procedure or provisions of the Act.

2.14 Interpretation:

Norms, requirements and other conditions for admission to technical/ professional courses are as per the guidelines issued by AICTE.

The State Government of Madhya Pradesh shall be the final authority for deciding any matter in respect of policy regarding selection of candidates for admission. If any question arises relating to the interpretation of these rules for admission, the decision of the State Government of MP shall be final and binding.

2.15 Jurisdiction:

In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

A copy of this Rule book shall be available on the website of the Directorate of Technical Education Madhya Pradesh i.e. <https://dte.mponline.gov.in>.

-----000-----





Indore Institute of Management & Research
Affiliated to - DAVV (Indore) & Approved by - AICTE (New Delhi)

Undergraduate Programmes



उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन ई-प्रवेश

सत्र 2023-24

मध्य प्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पौंचवीं मंजिल, भोपाल - 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2551698, 2554763

E-mail:- affil-he@mp.gov.in / epravesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :- 0755-6720201

विद्यार्, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।



Principal

Indore Institute of Management
and Research
Opp. HM, Pithampur Road,



मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
चल्लभ भवन,मंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17/05/2023

क्रमांक 328/ 46 / सीसी/2023/अडतीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र
2023-24 को लिये मध्यप्रदेश को शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय
महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत,
अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत।

(गीरन सिंह भलावी)

अदर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठ क्रमांक 328/ 46 / सीसी/2023/अडतीस, भोपाल, दिनांक 17/05/2023
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मन्त्रीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. स्थापना-आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. अधिकृत, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सातपुड़ा नवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/
रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. स्नातक क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय कला, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म. प्र. की
ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्रमुख आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म. प्र. सातपुड़ा नवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनाएँ एवं कार्यवाही हेतु।

Principal

Indore Institute of Management
and Research
Opp. IHA, Dithampur Road




DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

ONLINE ADMISSION PROCESS



ऑनलाइन माहितीसाठी वेब साइटवर जा करी आणि प्रवेश करावे लागते.
म. प्र. उच्च शिक्षण विभाग की वेबसाइट पर प्रवेश करावे लागते।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने हेतु क्या करना है।
सर्वप्रथम कक्षागत, पारितोषिक अंतर्गत महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन, अतिरिक्त टैलर/वेजो/प्रमाण परी मंडल को अपलोड करना। प्राप्त हुए सभी के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आवेदन होगा। आवेदन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मूलतः विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन एवं महाविद्यालय की प्रवेश सुलभ जमा का प्रवेश सुनिश्चित होगा।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
सत्र 2023-24
अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
1	प्रयुक्ति		4
2	पोर्टल की जानकारी		4
3	आयु संबंधी प्रावधान		4
4	स्नातक-प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित प्रवेश हेतु पात्रता		4-6
5	प्रवेश एवं अपडेशन प्रक्रिया :-		6-12
5.1	पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया		6
5.2	पंजीयन हेतु पूरा प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश		8
5.3	महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया		8
5.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया	5.4.1 अंक सूची संबंधी 5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी 5.4.3 सर्वग प्रमाण पत्र संबंधी 5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी 5.4.5 मूल निवासी संबंधी	8 8-9 9 9 9
5.5	पंजीयन आवेदकों के दस्तावेजों की ई-सत्यापन प्रक्रिया	5.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश 5.5.2 असत्यापित/डुप्लिकेट/अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश	9-10 10
5.6	प्रवेश आवेदन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण	5.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया	10-11
5.7	महाविद्यालय/सकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश		11
5.8	ऑनलाइन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया	5.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रान्सेक्शन फेल होने को दृशा में आवश्यक निर्देश	11-12
5.9	महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कीर्ति चयन प्रक्रिया		12
6	ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विचार्य चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		12-13
7	प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया	7.1 निरस्तीकरण पत्रात् शुल्क वापसी प्रक्रिया	13
8	सक जाति नहीं अन्तर्गत प्रवेश		13
9	शासकीय संकेत के स्थानान्तरित होने पर पाठ्यों के प्रवेश		14
10	पूरा प्राप्त आवेदकों के प्रवेश		14
11	मुख्यमंत्री शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विद्यार्थी योजनाएं	11.1 मुख्यमंत्री मध्यायी विद्यार्थी (MMVY) योजना 11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) 11.3 मुख्यमंत्री कॉर्पोरेट-19 बाल कल्याण योजना 11.4 लाइला लक्ष्मी योजना 2.0	14 15 15 16
12	पुनः-चयन-जन योजनागत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)		17



निर्देश मार्गदर्शी सिद्धान्त 2023-24

Page 2 / 46

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.	
13	विधि, संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया		17-18	
14	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18	
15	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18	
16	त्वारितीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान		18	
17	प्राथमिक प्रवेश हेतु पात्रता		19	
18	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)	18.1	स्नातक स्तर	19
		18.2	स्नातकोत्तर स्तर	20
		18.3	नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश	20
		18.5	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश	21
		18.6	त्याग्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान	21
		18.7	पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश	21
		18.9	महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया	21
19	स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम		21-22	
20	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम		22	
21	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	21.8	निजी महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोडन की प्रक्रिया	22-25
22	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम		23-24	
23	प्रवेश की पात्रता	23.1	निवृत्ती एवं अहंकारी परीक्षा	24
24	विशेष प्रकारण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता		24-25	
25	राज्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम		25	
26	स्तरक्षण	26.10	अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश	26-27
27	आधिभार	27.1	खेलकूद प्रतियोगिताओं संबंधी	28
		27.2	कला संस्कृति संबंधी	28-29
		27.3	एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स(स्कॉउट/गाइड्स/रैन्जर्स) एवं रेडक्रॉस सोसायटी संबंधी	29
28	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान	28.1	प्रवेश परघात प्राचार्य के अधिकार	30
		28.2	प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया	30
		28.3	हितग्राही योजना परिवर्तन	30-31
		28.4	विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन	31
		28.5	प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया	31
		28.7	प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया	31
29	परिशिष्ट 1 - एन 2		33-37	
30	परिशिष्ट 3 ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी		38-39	
31	सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ - Frequently Asked Questions)		40-47	
32	महाविद्यालयों (दोस्य संदर्भ) में ऑनलाइन सत्यापन हेतु विशेष निर्देश		48	

गर्भवर्षी सिद्धांत 2023-24

Page 3 / 46



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

मध्य प्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

(सत्र 2023-2024)

1. प्रयुक्ति :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत संहतित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उक्तकरणार्थ वी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरान्त परिनामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :-

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (<https://epravesh.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान :-

वर्ष 2017-18 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमांक 9.3 क,ख,ग,घ,ङ,च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को धिनीकृत किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

4.1 स्नातक स्तर हेतु :-

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	पृथि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) जीव विज्ञान समूह के एलएड्ड विषयों जैसे- माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सेड टेक्नॉलाजी आदि विषय) टीए- 40 प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु बिन्दु क्र. 4.1.6 का अवलोकन करें)

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त 2023-24

Page 4 / 46



- 4.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:-
10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडिएट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।
स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.ए.आई./आई.सी.एस.आई./एन.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एन.पी.बोर्ड./पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रदेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4.1.2 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 4.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 067/175/सोसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकराही में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)
- 4.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंडरी (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 4.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
- 4.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा से मिलते जुलते विषय, जैसे तेलेग्रेफी मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल टैपिंग/केनेट्री, माइक्रोबीयोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और फिटिंग ऑफ डायो-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी, पैकेज प्रोग्रामिंग, कर्वाण प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संश्लिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन फंजीशन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की अवधि अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जाएगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्रान्तिय का होगा। आवेदन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।
- 4.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :-
स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एन.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम./बी.कॉम. ऑनर्स
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस.डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों का प्राप्ति)



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

4.2.1 पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी स्वीकृति :- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय या स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5. प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-

प्रवेश प्रक्रिया :-

- प्रवेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2023-24 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2023-24 में एक चरण एवं तीन सी.एल.सी. चरण संघालित किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयवधि में, अनिवार्यतः कराना होगा।

अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-

- प्रथम चरण एवं सी.एल.सी. में आवेदक आवंटित महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही चाहे तो चाईस फिलिंग अनुसार अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन सहमति व्यक्त कर सकेंगे।
- सी.एल.सी. के प्रत्येक चरण में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के आधार पर महाविद्यालय स्तर से संघालित की जावेगी।
- प्रथम चरण के समाप्ति होते ही जिन आवेदकों ने आवंटन परवात भी शुल्क भुगतान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान पर अपग्रेडेशन का विकल्प देने वाले आवेदक को मेरिट अनुसार अपग्रेड किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपग्रेड होने की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जावेगी। आवेदक के अपग्रेड होते ही पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदक के अपग्रेड होने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर गुणानुक्रम के आधार पर अगले पत्र आवेदक को स्वतः ही स्थान आवंटित हो सकेगा। आवेदक को आवंटन परवात 03 दिवस शुल्क भुगतान करने का अवसर होगा।
- संबंधित महाविद्यालय द्वारा नवीन आवंटित महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क अंतरित किया जायेगा।
- जिन आवेदकों को प्रथम चरण में आवंटन नहीं मिला है वे अपग्रेडेशन में स्वतः ही शामिल होंगे।

5.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया:-

5.1.1 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।

5.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई.डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् निदेशित विद्यार्थी के लिए "/आर" (R) और स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए "/पी" (P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षेप नाम जैसे - "/बीयू" (BU) अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर आवेदक को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेशित होना होगा और उसके साथ

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2023-24

Page 6 / 46



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- हो संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे- "/बीयू/ डी.ए.वि.मि" (BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।
- 5.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।
- 5.1.4 पंजीयन के परन्तु आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर सभस्त प्रविष्टियों जैसे- नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्रत्यांक, मोबाईल नम्बर एवं अस्थिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं रपेसिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- 5.1.5 स्नातकोत्तर वक्राओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्राथमिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्रस्तावों का प्रतिरात ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल प्रस्तावों के आधार पर प्रायोग्यता निर्धारित की जाएगी।
- 5.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के माध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपरिस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन को कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
- 5.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा -

स.क्र.	चरण	शुल्क	विशेष
1.	प्रथम चरण में पंजीयन	100/-	सभस्त छात्राओं को निःशुल्क
2.	सी.एल.सी. चरण में पंजीयन	500/-	दिलय शुल्क सहित।
3.	पोर्टल शुल्क	60/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए।

- आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तथाश्चात् ही ऑनलाइन ई-सत्यापन होगा।
- 5.1.8 स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिचर स्नातक में पंजीयन होने पर प्रावधान -
यदि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिचर स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक ऐसा पंजीयन निकटतम हेल्प सेन्टर से निरस्त करा सकेंगे। निरस्तीकरण परयात एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क की राशि जिस माध्यम से प्राप्त हुई है। उरती माध्यम से वापस की जाएगी।
- 5.1.9 त्रुटिपूर्ण अनुक्रमिक से पंजीयन होने पर प्रावधान -
ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पंजीयन कराते समय अनुक्रमांक दर्ज करने पर पूर्व में पंजीकृत (Already Registered) का संदेश पोर्टल पर प्रदर्शित हो तो ऐसे आवेदक निकटतम हेल्प सेन्टर पर अंकसूची एवं मूल दस्तावेज सहित उपरिस्थित होकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्प सेन्टर उपलब्ध कराए गए टैब में अनुक्रमांक दर्ज कर आवेदक की वस्तुस्थिति पता कर सकेंगे। इस के उपरांत पूर्व से पंजीकृत आवेदक को दूरभाग के माध्यम से सूचित कर उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा। तथाश्चात् दोनों आवेदक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पंजीयन निरस्त होने पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुई है उरती माध्यम से वापस की जाएगी।



5.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्राथमिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के माध्यम पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की व्हाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

5.2.1 प्रवेश प्रक्रिया में सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्राथमिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.3 महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2023-24 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 15 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करके हुए विकल्प चयन (व्हाईस फिलिंग) कर सकेंगे। आवेदक को प्रयोग एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश हेतु पृथक-पृथक पंजीयन कराना होगा।

5.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:-

ई-सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अभिभार के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) :-

- (अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/पष्ठम सेमेस्टर (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.1 का अवलोकन करें)
 - (ब) जाति प्रमाण पत्र-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.2 का अवलोकन करें)
 - (स) संघर्ष प्रमाण पत्र-(दिव्यंग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/रक्षेत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के मालव आदि) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.3 का अवलोकन करें)
 - (द) अभिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.4 का अवलोकन करें)
- अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

5.4.1 अंक सूची संबंधी :-

- (अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक को इंटरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रामाणित अंक सूची मान्य होगी।
- (ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/पष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (उपरोक्त) सेमेस्टर की नोट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी :-

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/सत्र-5 अ/2019, गोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को प्राप्त उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी कथारी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- (अ) ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पर्याय ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में तक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।

5.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :-

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 26 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2020-21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 27 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.5 मूल निवासी संबंधी :-

- (अ) मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ब) मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की है किन्तु वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्य प्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (स) ऐसे आवेदक जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है किन्तु आवेदक अन्य राज्य का निवासी है। उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र न होने अथवा प्रक्रियाहीन होने की स्थिति में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में स्वप्रभाषित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हें मध्य प्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.5 पंजीयन आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-

- (अ) पंजीयन आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जायेगी।
- (ब) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा।
- (स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करें कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का फॉर्मेट सही एवं पठनीय हो।



5.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :-

- ऑनलाइन सत्यापन हेतु सभस्त शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को अपलोड कर परीक्षण उपरान्त संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर दस्तक करेंगे, जिससे आवेदक को ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवेदक का फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
- आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश :-

- यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फॉर्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण माये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फॉर्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संस्कारण किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फॉर्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में बिलक करेगा। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एम.एम. ऑनलाइन द्वारा संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश (एस.एम.एस) भेक करते रहें।
- ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अनास्था के स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः बिकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पूर्ण (ऑनलाइन डेरिफिकेशन क्लिक) आवेदक को दी जाएगी।
- आवेदक का फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दोहराव/एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शक पर प्रेषित करेंगे। जिससे महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लेखित आवेदन न हों।
- सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विरागति सज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटिसुधार उपरान्त आवेदक पुनः बिकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।
- निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन हेतु सम्मिलित किया जाएगा।

5.6 प्रदेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :-

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तार्क एवं अतिशार यदि कोई देय है तो अतिशार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। स्नातक एवं अतिशार श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।



- (घ) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण -
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवेदक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

5.6.1 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया

- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संगठित महाविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान परचात प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान चरणांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाइन प्रवेश समय तारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।
- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा ही जमायी सक्ष्य हो। आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
- (द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जान/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनिशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित महाविद्यालय के नामांकन शुल्क) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तथा कर सकेंगे।
- (घ) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की मुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार ऑनलाइन डी ट्रांसफर होगा।

5.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन परचात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :-

5.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सार्थ प्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय में से चयनित कर सकते हैं। आवेदक अनिश्चित अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यावसायिक विषय का चयन करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को अनिवार्यतः प्रोजेक्ट आदि के अंतर्गत ग्रुप-वर्क में दशाए गए विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा।

5.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जायेगी। आवेदक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

5.8 ऑनलाइन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया

- (अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई रकॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।
- (ब) ऐसी मालिकाएँ जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाइली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- (स) सत्र 2023-24 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्वचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें शुल्क जमा करते समय ही पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 राक्षस योजना का चयन कर शुल्क भुगतान करना होगा।



- (र) आवेदक को ऑनलाइन विषय गणम करने के उपरान्त प्रदेश शुल्क की प्रथम किरत की राशि रुपये 1,000/- या रुपए 10/- संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क सहित ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी सहगति दर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक का मात्रतागुणार जाहली तस्वी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। प्रदेश शुल्क की शेष राशि किंग्डोम में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयवधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना तथा जाहली तस्वी योजना 20 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया क्रमिक 11, 1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अनुसार होगी।
- (स) चयनित विषय के आधार पर प्रदेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोत्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रदेश प्राप्त कर सकेगा।
- (द) प्रदेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रदेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त होगी।
- 5.8.1 शुल्क भुगतान उपरान्त ऑनलाइन एडमिशन रिलिफ के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-
आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन रिलिफ का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रदेश शुल्क का भुगतान करने के परमाप्त प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रदेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन रिलिफ का वाट में की संशोधन क्रमांक एवं आई.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिंट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
- 5.8.2 प्रदेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-
आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीकृत/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि को वापसी उसी बैंक खाते में आवेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रदेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रदेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक को नाम प्रदेश सूची में दर्शित नहीं होगा।
महत्वपूर्ण - विद्यार्थियों का प्रदेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाइल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाइल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में त्रुटि होने पर विद्यार्थियों की प्रदेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विवरणित को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।
- 5.8.3 शैक्षणिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों को टी.सी. एवं अन्य दस्तावेज की मूल तथा उत्कृष्ट प्रति महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.9 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रदेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदेश प्रक्रिया संचालित होने के 30 दिवस की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
6. ऑनलाइन सी.एल.सी. चयन में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-
- 6.1 सी.एल.सी. चयन में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्षवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रदेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 6.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चयन में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की परीक्षा दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोर्स की सूची आवेदन मन्थ्य नहीं किये जायेंगे।



- 6.3 प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन सी.एल.सी चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरुद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।
- 6.4 सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रदेश नियम क्रमिका 26.1 से 26.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटों क्रमिका 26.12 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों को परिष्कार की जायेगी।
- 6.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक प्रथम चरण के पर्याप्त रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व क्षीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।
- 6.6 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर, प्रदेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन क्षीयता/क्षीयता पुनः देना अनिवार्य है।
- 6.7 पुनः क्षीयता हेतु कोई शुल्क देना नहीं होगा।
- 6.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पर्याप्त सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के विन्दु क्र 5 में उल्लेखित क्रमिका 5.1 से 5.9 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तदनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 6.9 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आर्बटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.सी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 6.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्राथमिक सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

7. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया -

1. ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2023-24 से प्रदेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
2. आवेदक को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रदेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. आवेदक को प्रदेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रकार में आवेदन करना होगा।
4. आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सवमिट करने पर उनके द्वारा पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त आर्टीसी दर्ज करने पर प्रदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।

7.1 निरस्तीकरण पर्याप्त शुल्क वापसी प्रक्रिया -

शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण/सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक द्वारा जमा की गई प्रवेश शुल्क को सम्पूर्ण राशि उसी खाता क्रमांक में वापस की जाएगी जिस खाता क्रमांक से प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिनों के अंदर प्रदेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस क्रमिके के पर्याप्त प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8. रुक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश - ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं मोरफो अन्तर्गत उत्तम आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पर्याप्त ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वच्छाधी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थगित होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

9. शासकीय सेवक को स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश - कडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक को स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रकृतिगत सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक को स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।
10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश -
- 10.1. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपस्थित न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्राथमिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।
- 10.2. प्राथमिक प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय कार्यक्रम चरण/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।
- 10.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अन्तर प्राप्त होने की स्थिति में प्राथमिक प्रवेश देना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्राथमिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
नोट- इसा हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करनी होगी।
- 10.4. प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त निर्धारित समय तारपी अनुसूचर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रियण शुल्क काउन्टर शेष राशि वापस की जाएगी।
11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-
- 11.1 मुख्यमंत्री भेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना :-
मुख्यमंत्री शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री भेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।
इस योजना का नियन्त्रण तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिश्यों के तहत किया गया है।
- 11.1.1 पात्रता की शर्तें :-
- म.प्र.प्रदेश का मूल निवासी हो।
 - विद्यार्थी के पिता/माता की वार्षिक आय छः लाख रुपये से कम हो।
 - विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा महाप्रवेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आर.सी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।
- 11.1.2 योजना का स्वरूप
इस योजना के तहत सत्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लानू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक शिक्षा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
योजना प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजना के तहत संस्थाओं को देश शुल्क के रूप में प्रदेश शुल्क एवं देश वास्तविक शुल्क (देश शुल्क एवं कौशल मन्त्री को छोड़कर) जो शुल्क विनियमन समिति अथवा म.प्र. विज्ञान विद्यापीठ विभागक अयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 6-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 11.1.3 स्वीकृति :- प्रवेश प्राप्ति प्राप्त विद्यार्थियों को केवल गैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नानांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) :-
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कोरवाड़ा विभाग एवं राजगढ़ विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2009/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2010 के तहत प्रदेश दिया जायेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11.2.1 पाठ्यक्रम की शर्तें :-
i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जायेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में अंतिम दिनांक कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 11.2.2 योजना का स्वरूप :-
यस्योक्त अनुसूक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आरशि/शा-5/अ/2018 गोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के सम्बन्धित शासकीय विरधविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के परम्परागत एवं स्वयंसेवक पाठ्यक्रमों में किशुल्क प्रवेश (लेकिन गैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।
- 11.2.3 स्वीकृति :- स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनागत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल गैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेशशुल्क (नानांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (महिला/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य शिर्षाही योजनाओं का भली-भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के साथ इन योजनाओं का भ्रमण करें।
- 11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार।
- 11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) :-
इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्दिष्ट रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।
- 11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3):-
परिवार से अनिर्णय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)
बाल विवाहादि से अनिर्णय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम है (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अनिर्णयक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)
- "कोविड-19 से मृत्यु" का अनिर्णय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून 2021 तक अवधि में हुई।



वार्षिकी शिक्षा 2023-24



Page 15 / 46



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 11.1.3 स्पष्टीकरण :- प्रदेश प्राप्त पाठ्य विद्यार्थियों को केवल मेस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) :-
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कोशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2009/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2010 के तहत प्रदेश दिया जायेगा। इस हेतु समय समय पर जारी अधिसूचों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11.2.1 पाठ्य की शर्त :-
i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जायेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के अंतर्गत कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 11.2.2 योजना का स्वरूप
पारंपरिक अनुसूक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पात्र क्रमांक 525/484/अउशि/शा-इ.अ/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के संमत्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्वयंसेवक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कोशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।
- 11.2.3 स्पष्टीकरण :- स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनांतर्गत प्रदेश प्राप्त होने पर केवल मेस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेशशुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जमकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली-भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के साथ इन योजनाओं का ध्यान करें।
- 11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, कलम भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/80-2, भोपाल दिनांक 21.05.2021 के अनुसार।
- 11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) :-
इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खतरा सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे परिष्कारपूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा निर्दिष्ट रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।
- 11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3)-
परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)
बाल विद्यार्थी से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि तक। इनमें से जो भी कम है (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)
"कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

संवैधानिक शिक्षा 2023-24

Page 15/46



- 11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4) -
प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 मोक्ष कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के भूतक माता/पिता ऐसी शासकीय सेवा या शासकीय उपकरण के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
- 11.3.4 बाल हितग्राही के भूतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अन्यत्र हों गये हों, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2) -
- (अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वार्षिक शुल्क (मिस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कौशलमयी सेवा करना से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित स्त्रथा की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियमक आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कटौती - 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वार्षिक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार - लिख बँक खाते में की जाएगी।
- 11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू र्थ से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट - 5.3.4)
- 11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)
- 11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क अदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-5)
- 11.4. लाइवली लक्ष्मी योजना 2.0 :-
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यापसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समक किरतों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। लाइवली लक्ष्मी कार्यक्रमों की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।


योजना का उद्देश्य -

- मध्य प्रदेश में विमानुषता सूचकांक में सुधार लाना
- आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वस्थ की स्थिति में सुधार लाना।
- बालिकाओं के उच्चतम बलिष के लिए एक अच्छी नीच प्रदान करना।

पात्रता की शर्त :-

- शुभ जनवरी 2006 अथवा उसके परभाव जन्मी बालिका।
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
- माता-पिता अनुसूचित जाति न हो।
- माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान को जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

विशेष - उच्चतम पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाइवली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।



योजना का लाभ :-

- i. लाइवली कतिवाओं को कक्षा 12 वीं को परवर्तित स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अर्थात् न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपए 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किरातों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी।
 - ii. लाइवली कतिवाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क साराना द्वारा वहन किया जाएगा।
- 12. वर्क-स्टेप-अप योजनास्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-**
- 12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वर्क-स्टेप-अप योजनास्तर्गत प्राथमरी/निडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केंद्रीय शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. साराना, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 154.27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।
 - 12.2 वर्क-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्मल परंपूर्ण/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार फंजीशन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अंतिम ति. प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया :-

- (अ) विधि स्नातक (एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी.) में BCI नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीटों (अधिकतम 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन) एवं भाष्यकों अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- (ब) विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहां संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का संबंधित मैगिंग महाविद्यालय से सथापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।
- (स) स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विधि संकाय में प्रथम चरण से ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

13.1 एल.एल.बी. विश्वीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत :-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अल्प विच्छेदा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

13.2 एल.एल.बी. विश्वीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत :-

आयस तकमंडरी एवं एई न्यारहवीं में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अल्प विच्छेदा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

13.3 पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :-

यदि आवेदक ने पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल.एल.बी. डि-जर्नीय/मंचवर्गीय पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु पात्र होगा।

रूपरेखाकरण :- आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर गुण विश्वविद्यालय (अथवा विश्वविद्यालय) से बिना आधाररूप गुण शिक्षा (वैशिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। (The BCI Rules Page No-35 & Para No-02)

13.4 एल.एल.बी. में प्रवेश:-

(अ) एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.बी. डिप्लॉमा/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सतमान्य वर्ग एवं अन्य गिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65 प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप:- न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

14. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

14.1 म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 03 संस्कृत महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संभावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।

14.2 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 8 जून 2018 को अनुसार महाविद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एस.सी.बी. कॉम एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

15. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

15.1 प्राच्य भवति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाखा-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रदेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा जो.एल.बी. चरण में इन आवेदकों को प्राथमिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुसूचित होने पर प्रवेश रवत: निरस्त हो जाएगा।

15.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया यारपी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से तय करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफार्सल अर्हतन कर मेडिंग महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुन: सत्यापन कराया अनिवार्य होगा।

16. स्वयंसेवी पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

सत्र 2023-24 से शासकीय महाविद्यालयों के स्वयंसेवी पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु विमानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

16.1 सत्र 2022-23 के स्नातक प्रथम वर्ग में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हो तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2023-24 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16.2 सत्र 2022-23 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2023-24 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16.3 सत्र 2023-24 के सभी मर्दान पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ग में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

शिवर एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2023-24

Page 18 /46



17. प्राथमिक प्रवेश हेतु पात्रता :-

- 17.1 स्नातक उत्तर वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राथमिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 17.2 स्नातकोत्तर प्रश्नाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्राथमिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रवेश आंकड़ा में गणना के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्राथमिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिखा होने पर प्राथमिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 17.3 महाविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक / ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 17.4 प्राथमिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर रक्षक के दायित्व / जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष / चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्राथमिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 17.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार कमसे कम स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राथमिक प्रवेश की पात्रता होगी।

18. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :-
 प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु दिग्ग प्रारंभ हेतु :-

- 18.1 स्नातक स्तर हेतु- छात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों से (द्वितीय व तृतीय वर्ष) / शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।
- 18.1.1 वार्षिक प्रणाली में प्रवेश एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण / एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 18.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण / किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सेमेस्टर पद्धति से संचालित स्वशासी महाविद्यालयों हेतु प्रारंभ :-

- 18.1.3 आर्किनेन्स (14 ए) के अनुसार यदि कोई छात्र किसी भी पाठ्यक्रम में एक / F (Fail) या एबी / AB (Absent) ग्रेड प्राप्त करता है, तो उसे पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे छात्रों को वि.वि. / UTD / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनः शामिल होना होगा। सी.सी.ई. के एक-दोषी कार्डों को जमा करके एवं ग्रेड निर्धारण में पुनर्निर्देश के प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।
- (अ) छात्र को अगले सेमेस्टर में तभी पदोन्नत किया जाएगा जब वह एक सेमेस्टर में कुल क्रेडिट के मान से कम अर्ध क्रेडिट प्राप्त करता है। यदि छात्र कुल क्रेडिट के अग्रे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, तो छात्र को उस सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, इस स्थिति में अनुत्तीर्ण छात्र को पूरा सेमेस्टर पुनः पढ़ना होगा साथ ही वह सेमेस्टर शून्य सेमेस्टर माना जाएगा ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाएगा।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- (न) यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होता है, तो उस छात्र को उस सेमेस्टर में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और यदि भाग किसी सेमेस्टर में कुल क्रेडिट के आधे क्रेडिट प्राप्त करता है और उस सेमेस्टर के कुछ प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में एटीकेटी (ATKT) सहित अस्थायी रूप से अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जा सकेगा।
- (स) यदि छात्र एटीकेटी (ATKT) परीक्षा में शेष सभी प्रश्न पत्रों को पास करने में असफल रहता है, तो अस्थायी पदोन्नति समाप्त कर दी जाएगी लेकिन उसे असफल प्रश्न पत्रों को पास करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। भाग लीजिए कि उपरोक्त दूसरे अवसर के बाद भी छात्र संबंधित प्रश्न पत्रों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, ऐसे प्रकरण में छात्र को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह सेमेस्टर शून्य-सेमेस्टर माना जाएगा एवं छात्र को पूरे सेमेस्टर को दोहराने के लिए कहा जाएगा।
- (द) यदि वर्तमान स्वशासी महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष का अवसर नहीं दिया जा रहा हो तो उसी विश्वविद्यालय के अन्य स्वशासी महाविद्यालय/यू.टी.डी. में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति से संचालित स्वशासी /अन्य महाविद्यालयों हेतु प्रावधान :-

18.14. आईडिआर (14 वीं) के अनुसार

- (अ) यदि कोई छात्र किसी भी प्रश्न पत्र में एफ/ F (fail) या एबी/ AB (Absent) ग्रेड प्राप्त करता है, तो उसे प्रश्न पत्र में पूरा/अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनः शामिल होगा होगा। सी.सी.ई. के अंक कैंसिल करके रिप्टेज जा सकेंगे एवं ग्रेड निर्धारण हेतु पुनर्परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।
- (ब) छात्र को अगले वर्ष में सभी पदोन्नत किया जाएगा जब वह एक वर्ष में कुल क्रेडिट के आधे क्रेडिट प्राप्त करता है (उदाहरणार्थ वार्षिक परीक्षा पद्धति के कुल 40 क्रेडिट में से 20) यदि छात्र कुल क्रेडिट के आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, तो छात्र को उस वर्ष में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, इस निर्णय में अनुत्तीर्ण छात्र को पूरा वर्ष पुनः दोहराना होगा साथ ही यह वर्ष शून्य वर्ष माना जाएगा। ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष में पदोन्नत नहीं किया जाएगा।
- (स) यदि कोई छात्र किसी वर्ष में सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होता है, तो छात्र को उस वर्ष में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यदि छात्र वर्ष के कुल क्रेडिट के आधे से कम आधे क्रेडिट प्राप्त करता है और कुछ प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में पूरा सहित अस्थायी रूप से अगले वर्ष में पदोन्नत किया जा सकेगा।
- (द) यदि छात्र अगली पूरा परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों को पास करने में असफल रहता है, तो अस्थायी पदोन्नति समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उसे असफल प्रश्न पत्रों को पास करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। भाग लीजिए कि उपरोक्त दूसरे अवसर के बाद भी छात्र संबंधित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, ऐसे प्रकरण में छात्र को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह वर्ष शून्य वर्ष के रूप में माना जाएगा, एवं छात्र को पूरे वर्ष को दोहराने के लिए कहा जाएगा।
- (घ) यदि वर्तमान महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष का अवसर छात्रों को नहीं दिया जा रहा हो तो उसी विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालय/यू.टी.डी. में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

18.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में एटीकेटी को प्राप्त नहीं होगी।

18.3 नवीनीकरण मुख्य संसदीय निर्देश-विधेयानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रदेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पाठ्यक्रमानुसार 800/10 अथवा प्रथम किताब के नाम में ऑनलाइन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 03/17/आरशि/आईटी/19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 20/- देय होगा। छात्रों को सभी संबंधित महाविद्यालय द्वारा विभिन्न विद्यालयों में महाविद्यालय आरंभ होने पर अधिसूचना जारी की जाएगी।

एच.एम.टी. सिद्धांत 2023-24

Page 20/46



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 18.4 सत्र 2021-22 से लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कफिडका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दिया जाना है।
- 18.5 शासकीय स्तर के स्थानान्तरित होने पर उनके पाठ्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश--
कठिनाई 23.1(अ) में उल्लेखित शासकीय स्तर के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाठ्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय स्तर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आब्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय के पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 18.6 स्वाध्यायी (राइटेड) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :- मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 18 फरवरी, 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रता प्रमाण-पत्र स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 18.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/35-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/अंतराध्यागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2023-24 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी अंतराध्यागत विद्यार्थी जो सत्र 2022-23 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 18.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :- जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे अगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
- 18.8 पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यक्षेत्र अनुसृत उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
- 18.9 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन मॉडल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिनों की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
19. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम
पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-
- 19.1 सेमेस्टर का अंत में सम्बंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात सत्र के दौरान पूरक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 19.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्राक्चेक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्राक्चेक प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- 19.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंगे। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त नहीं होगी।

विषय एवं मार्गदर्शी शिक्षा 2023-24

INDORE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH

Page 21/46



उच्च शिक्षा विभाग, ग.प्र.

- 19.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में ग.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र 18003/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्राधान्य लागू होंगे।
- 19.5 विशेष परीक्षार्थी :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/397/आरएम/श-5अ/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/कला-संस्कृति (पुश्पा उत्सव)/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं रेजर्वेंट्स सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतिযোগिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थार्थी के प्रभावित करने पर उन विद्यार्थियों को परीक्षाएँ उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय सारणी जारी कर आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।
20. स्नातकोत्तर चक्राओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-
- 20.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 20.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 20.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश वा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 20.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में ग.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.18003/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्राधान्य लागू होंगे।
21. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :-
- 21.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को धृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सहाय अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 21.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में धृष्टि हेतु कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे।
- 21.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संश्लेषित सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 21.4 इस समय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 21.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित दिशियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के भाग्यकृत शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एन.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन निभागीय (<https://epravesh.mponline.gov.in>) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लौक करेंगे।
- 21.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रेषित शाब्दिकी पूर्वक दर्ज करन सुनिश्चित करने इसके साथ ही बैंक खाते का प्रसार बैंक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रेषित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क को राशि अन्तर्गत की जाएगी।
- 21.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रेषित विद्यार्थियों की संख्या के राउण्डअफ करके हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 21.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया:-

(अ) सर्वेण निजी महाविद्यालय को विभाग द्वारा जारी आई.टी.के.टी. के प्राधान्य से ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय की प्रोफाइल निर्मित करना अधिकार प्राप्त है।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- (ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना से संबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
- (स) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निश्चयता प्रमाण पत्र।
- (द) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन सम्बद्धता प्रमाण पत्र।
- (य) विभिन्न कार्यक्रम हेतु उपरोक्त कठिना 21.8 के साथ-साथ, पी.सी.आई की अनुमति पत्र निर्धारित सीट संख्या।
- (र) महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि साक्ष्यानी पूर्णक दर्ज करना सुनिश्चित करने इसके साथ ही बैंक खाते का पास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्वहित की जाएगी।
- (ल) पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी गद्य प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- (व) स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में भार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रति संयोजन सुषानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

22. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-

- 22.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा को समकक्ष मान्य है।
- 22.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 22.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आदेशक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नहीं दिल्ली द्वारा जारी शर्मकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पत्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 22.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एरोसिेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, को समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 22.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्ज अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
- 22.6 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन, मैनेजमेंट एवं सिरटम एनालिसिस, क्लीनिकल टैक्निकेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कंप्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ ड्रग्स, फोटोसिंथेसिस, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी, पैकेज प्रोग्रामिंग, रकार्कस प्रैक्टिस आदि उपरोक्त विषयों के साथ



समकक्ष एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2023-24



उच्च शिक्षा विभाग, म.प.

- (ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर एग्मा से संबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
- (स) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।
- (द) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (य) विभिन्न कार्यक्रम हेतु उपरोक्त कठिना 21.8 के साथ-साथ, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।
- (र) महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करने इसके साथ ही बैंक खाते को फास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रदेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तर्गत की जाएगी।
- (ल) पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय या संस्थापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी गैर प्रमत्तों के सम्यक् न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होगा होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उच्च महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- (व) स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में भार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रति सेक्शन युष्मानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

22. स्नातक बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-

- 22.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, गध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के संगक्ष मान्य हैं।
- 22.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्यक् होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को गध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, गोपाल से संनक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 22.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आर्षेयक में यदि गध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में मंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को पत्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी संनक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पत्रवा, अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 22.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के संगक्ष मान्य होंगी।
- 22.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपरोक्त मान्य नहीं होंगी।
- 22.6 गध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेटरी मैथिमा, मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, बलोनिकल बसिनेसेनेस, माइक्रोबॉयलाफी, एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कंप्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ ड्राइंग सोलूशिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, सी.डी.पी, फेकेज प्रजागिंग, वर्कराप प्रैक्टिस आदि उपरोक्त विषयों के साथ



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

माध्यमिक शिक्षा गण्डत, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बावजूद संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षण के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पाठ्य अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जाएगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

22.7 नव्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

23. प्रवेश की पात्रता :-

23.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्प्रतिधासे निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदोन्नत मध्यप्रदेश में हो, उनके पाठ्य एवं जगू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके अभिजन/भूटन के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पर्याप्त स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जगू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पालन/पाल्या के लिये निम्न प्रायधान लागू होंगे :-

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (यदि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आब्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रविशत का आरक्षण।

(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जगू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध मासुल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

24. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

24.1 किसी भी संकाय में स्नातक स्पाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (यदि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

24.2 महाविद्यालय में लोड-फोड करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और संशय के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रीविंग के सदर्भ में यू.पी.पी. के प्रायम क्र. एक-1-16/2007 (सी.पी.पी.।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों पर पालन अनिवार्य है। इन संकाय में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 029/469/आर.वि. (सं.म.प्र.उ.स.) दिनांक 19 जून 2008 के अनुसार जोरि टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।



एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2023-24



Page 24/46



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 24.3 टूनिंगब्रेडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा।
- 24.4 पूर्णकालिक शारावैद्य/असारवैद्य सेक्टर कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की शर्तों में कामने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अथवा को उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आदेशक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-
- 25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एससी (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने निम्नलिखित परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पर्याप्त ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.2 मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक संपन्न-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में कहीं, किसी भी तरह की धूर्त/मूलतः जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्य द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य है।
- 25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखी की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्यापनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
26. आरक्षण :-
- मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-
- 26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक धारण के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में निम्नानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी को सौद अग्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सौद उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी गानी जायेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सौदें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 26.3 पिछड़े वर्ग (श्रीमती-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्रमिक 349 गणमत दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित सभागण क्रमांक 13681-227-इकीस-अ (प्र) अदि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर माधिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5903/2019 के अंतर्गत मन्त्रालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 24.3 ट्रांसफरिन्डर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा।
- 24.4 पूर्णकालिक शारावधि/असारवधि सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की कमी में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कार्य अथवा को उपराल लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आदेशक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-
- 25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एससी (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पड़ाव जा रहे विद्यार्थी/विद्यार्थिनी-समूहों में आवेदकों ने विद्यार्थी परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पर्याप्त ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/धनुर्धर सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक सपथ-पत्र देना होगा; शपथ-पत्र में ऊर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्य द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कसना अनिवार्य है।
- 25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्यापन संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 25.7 जिन विषयों में प्रवेश के सिवा प्रवेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
26. आरक्षण :-
- मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-
- 26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार भरिष्ठ श्रेणी में आता है तो आरक्षित श्रेणी को सीटें अग्रगणित रहेंगी; परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संतर्न जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संतर्न की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी नानी जायेगी। संबंधित विशिष्ट संतर्न की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेगी।
- 26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए लगभग 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 26.3 पिछड़े वर्ग (डी.सी.-लेबर छाड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राज्यपत्र क्रमांक 340 भाग 2 दिनांक 14.03.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इडकीस-अ (जा) अदि, दिनांक 13.06.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर प्राविक क्रमांक डब्ल्यू.पी. 6901/2019 को अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अर्धान लागू किया जायेगा।)



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 26.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातियों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान शौर्यगति को प्राप्त अधिकांश स्थाई रूप से निश्चयित हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा वर्तमान सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्दल आर्ग पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्रशासकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिकार देकर, तीन वर्गों का सम्मेलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संदर्भ के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शौर्य के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शौर्य के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निश्चयित तथा उनको आश्रित।
 5. किन्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अधिकांश पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, उत्तम सेवा मंडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मंडल, सेना, ग्रीष्म/वायु सेना मेखल पत्रों में उल्लेख।
 6. राष्ट्रपति का दोस्ता हेतु पुलिस मंडल।
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संदर्भ के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हताप्राप्ति अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ श्रमान्वय प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एक-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा को पत्र क्रमांक 444/243/अ.प्र./आ.-5/अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय उल्लेखित प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 26.7 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्रों के लिये आरक्षित होंगे।
- 26.8 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ राजकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिनगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, प्रबंधकों, क्लर्क अधिकारियों, सचिवों एवं राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बंधित संदर्भों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 26.9 आरक्षित स्थानों का प्रतिशत यदि अंकों से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। अंकों से एक प्रतिशत को नीचे आने पर ही आरक्षित स्थान का लाभ मानी जायेगी।





उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

26.10 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आर्दटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल (<https://enravesh.mponline.gov.in>) पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी।

सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में संचालित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजला/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्दटन की प्रक्रिया 01 : 01 (अल्पसंख्यक श्रेणी : गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी।

26.11 कक्षाओं 6-4 अनुसार सी.एल.सी. अंतिम धरण में रागय अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के (अल्पसंख्यक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

26.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

26.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संचालित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संचालित संस्था पंजीयन आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

27. अधिभार :-

अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संवंधी :-

- स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के माध्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2020-21 के पूर्व के माध्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संवंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

- खेलपट्ट विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटसाईट के आधार पर सुरक्षित होंगे। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
- कला-संस्कृति (गुवा संस्कृति)/एन.सी.सी.-एन.एन.एन.-सकाउट एवं रेडक्रॉस सहसंघर्षी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5-5 सीट आउटसाईट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होगी।
- राज्य/संगम/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए सी. सी. और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- आउटसाईट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में अधिभार का मायना



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

27.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटरराइट (Outright)

1. अंतर्राष्ट्रीय खेल/वर्ल्डकप चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चैम्पियनशिप/साउथ एशियन गेम्स/पैरासपोर्टिव गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटरराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. अंतर्राष्ट्रीय खेल/वर्ल्डकप चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चैम्पियनशिप/साउथ एशियन गेम्स/पैरासपोर्टिव गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटरराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा

श्रेणी B - (प्रतिशत अधिगार)

स्टेट प्रतियोगिता/इंटर जूनियर एव महाप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अतिरिक्त राज्य स्तरीय/अन्तर संगम/अन्तर जिला/संकीर्ण/क्रीडा/आईएसएसी/डीएवी/एनकेएस/विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	अतिरिक्त प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिगार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिगार

श्रेणी C - (प्रतिशत अधिगार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संगम स्तर जिले की प्रतियोगिता स्तरीय/स्वच्छ क्लब/केवीएस/एनडीएस/डीएवी/विद्या भारती/सुप्रती क्लब/स्कूल स्पोर्ट्स (जिला स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ/संगम/जिला/अपरवेटर ऑफ एजुकेशन/जिला स्पोर्ट्स बोर्ड से प्रभावित) के अंतर्गत	अतिरिक्त प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिगार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिगार

27.2 कला - संस्कृति (शुद्ध उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटरराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतियोगिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटरराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
गतिविधियां -	
• नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक), गायन (हिन्दुस्तानी/पारयात्य शास्त्रीय/संगम/लोक/पारयात्य संगम)	
• क्विज	
• समकालिक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	
• डिजिटल भीडिया (फोटोग्राफी/एनोमेशन/किल्ड मॉडर्निंग)	
• संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/पारयात्य)	
• फार्म आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/एनकलप)	
• थियेटर	
• कलाविचार (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	
• विज्ञान संबंधी गतिविधियां	



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

श्रेणी - B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

रूढ़ भारतीय शास्त्रीय/लोक गायन हिन्दुस्तानी/पारम्परिक शास्त्रीय/संगम लोक पारम्परिक (संगम) विद्युत् एधनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/फिल्म मेकिंग) संगीत ज्ञान (हिन्दुस्तानी/पारम्परिक) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/स्कल्पचर) ललितकला शिप्टर डिप्लोमा (विदेशीय हिन्दी एवं अंग्रेजी)	R	राज्य स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	C	संगम स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु मान्यता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	D	जिला स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु मान्यता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिभार

27.3 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गार्डस/रज्जरी) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटरराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के मातात्र दिवस पर उच्च मध्य प्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्वेंशन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	अर्द्धता पूर्ण होने पर
2	रक्षापति स्काउट	मान्यता अनुसार
3	मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट	दिना किर्ती
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरो अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडिडेट	गुणानुक्रम के संकेत
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य युव एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट	निर्धारण के साथ आउटरराइट प्रवेश
6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के सहित चयनित एवं प्रयास करने वाले कैंडिडेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	प्रदान किया जायेगा

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)


1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संघालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतिभागिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी D- (प्रतिशत अधिभार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	



राज्य शिक्षा विभाग, म.प्र.

27.4	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर पक्षा में उत्ती विषय में प्रवेश देने पर.	10 प्रतिशत
27.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य रूढ़ अथवा साइन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले चल क्षेत्र सदस्यों को	10 प्रतिशत
27.6	जन्म-कर्मीर के दिव्यपितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत

28. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

28.1 प्रवेश परचात प्राचार्य के अधिकार :-

28.1.1 जाही प्रकथन पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा विषय गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश नित जाता है, तब संस्थान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

28.1.2 प्रावधिक प्रवेश के नामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियां पूरी कर ली है, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

28.1.3 नियमित प्रवेश करने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह विस्त तक ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजी होगी।

28.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कडिका 24.2 में दर्भित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिखित विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

28.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के विन्दु क्रमांक 07 एवं कडिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

28.2.1 प्रावधिक प्रवेश परचात अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रदेश प्रदिया शुल्क रुपये 100/- वापस करे शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

28.2.2 प्रवेश परचात शैक्षिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

28.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर संस्थान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यूजीसी के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत समन्वित प्रावधानों द्वारा शर्तों वापिस की जाएगी।

सिर्कट :- यूजीसी द्वारा सूचित वैधानिक प्रोक्शनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अंतर्गत माने जायेंगे।

28.3 शिप्राही योजना परिवर्तन :-

28.3.1 अनुत्तीर्ण प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के परचात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समया सीमा में परचात अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/वापसी योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

27.4	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तरीय विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश देने पर.	10 प्रतिशत
27.5	भारत के अन्य राष्ट्रों के मध्य स्नातक अथवा साइन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विद्यार्थी/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रवास करने वाले पत्रों के शर्तों को	10 प्रतिशत
27.6	जन्म-कर्मचारी के दिव्यभित्तों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत

28. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

28.1 प्रवेश परदात प्राचार्य के अधिकार :-

28.1.1 ज्ञानी प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा प्रियार्थक गये प्रतिकूल लक्ष्यों या प्रस्तावनीय अथवा कार्यसमीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संस्थान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

28.1.2 प्राथमिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करने और वह सुनिश्चित करने कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्राथमिक प्रवेश दिया गया था।

28.1.3 नियमित प्रवेश देने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार चार दिनों तक ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरान्त ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।

28.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कडिका 24.2 में दर्शित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

28.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के धिन्दु क्लॉक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28.2.1 प्राथमिक प्रवेश परदात अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश शुल्क का रूप में 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

28.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

28.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर संस्थान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत न्यायिकता द्वारा वापस की जायेगी।

टिप्पणी :- यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोक्शनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

28.3 दिव्यभित्त योजना परिवर्तन :-

28.3.1 अंगवस्त्र प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में संस्थान अनुसार मुख्यमंत्री भेषादी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/काउंसिल की योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित सहायता के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 28.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।
- 28.4 **विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन :-**
अनुच्छेदा प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के परभाव उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रेषित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु फत्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर मात्रता/गुणानुक्रम का उत्संघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 28.5 **प्रेषित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया :-**
सत्र 2023-24 में स्नातक/स्नातकोत्तर पर प्रेषित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थिति में प्रेषित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रेषित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया जाना है को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के अन्धर पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 03 दिवस की अवधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रेषित महाविद्यालय के प्राचार्य को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
विशेष टीप :- आवेदक का स्थानांतरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहाँ पूर्व महाविद्यालय में संबन्धित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानांतरित होने वाले महाविद्यालय की मेरिट सूची अन्तर्गत पात्रता बनती हो।
- 28.6 अकादमिक केलम्बर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रेषित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रेषित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा के सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।
- 28.7 **प्रेषित विद्यार्थियों के दृष्टिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया :-**
(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के परभाव प्रेषित विद्यार्थी को 20 दिवस की समय-सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
(ब) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रेषित सूची में यदि किसी प्रकार की त्रुटि/दोष देखा जाये तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय-सीमा में आवेदक को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
- 28.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अब सत्र 2023-24 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु मॉड्यूल 5.1.7 के अनुसार परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाले स्थायी राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।



उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 28.9 द्वारा निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रवेश करने की प्रतीति-एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 28.10 आशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्राच्यमान/व्यवस्था- ऐसे आशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 28.11 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आभूक्त, उच्च शिक्षा को है। आभूक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन जारी करने/समय झारनों घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पत्रों में संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

संलग्न :- अकादमिक कैलेंडर सत्र 2023-24 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

7-5-23
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग



एच मार्गदर्शी सिद्धांत 2023-24

English Transcript of Admission rules for reserved categories
2023-2024

English Transcript of Admission rules for reserved categories
2023-2024

Reservation of seats in programmes offered by the Institute are in accordance with the reservation policy of Government of Madhya Pradesh Government. The benefit of reservation is available, only to the domiciles of Madhya Pradesh. The details are available in the Guidelines for Admission issued by the Department of Higher Education, Govt. of M.P. Important highlights are cited below:

26. Reservation: According to the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, it will be as follows:

26.2 16 and 20 percent seats will be reserved for applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) respectively. The places of both these classes will be interchangeable.

26.3 14 percent seats will be reserved for applicants of backward classes (except creamy layer) (Amendment No. 13681-227-21-A (Private) published in Madhya Pradesh Gazette No. 349 Bhopal dated 14/08/2019 is being included in the guideline in compliance of the amended order dated 13/08/2019 but will be implemented subject to the decision passed by the Honorable High Court under petition no. W.P 5901/2019)

26.4 Sons/daughters and grandsons/granddaughters and great grandsons/great granddaughters of freedom fighters, sons/daughters of soldiers martyred or permanently disabled in the line of duty in the Indian Army and dependents of ex-servicemen and serving personnel of the Central Arm Police Force 05 percent seats will be reserved jointly for the children of SC and ST and for the disabled category applicants of these categories.

26.5 5 percent seats will be reserved for the applicants of the disabled category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre.

26.6 Economically Weaker Sections (E.W.S): The benefit of 10 percent reservation will be given to students for admission in educational institutions by Order No. F-07-11/2019/ of the General Administration Department Bhopal dated 02nd July 2019 and in sequence with Commissioner Higher Education's letter no. 444/243/CHE/Sha-5'A/2019 Bhopal dated 15th July 2019.

26.7 30 percent of the seats available in all classes will be reserved for girl students.

Refer the Pravesh Niyam and Margdarshi Sidhant 2023-24 of Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh, Serial No. 26 Page No. 25,26



**English Transcript of Admission rules for reserved categories
2023-2024**

**English Transcript of Admission rules for reserved categories
2023-2024**

Reservation of seats in programmes offered by the Institute are in accordance with the reservation policy of Government of Madhya Pradesh Government. The benefit of reservation is available, only to the domiciles of Madhya Pradesh. The details are available in the Guidelines for Admission issued by the Department of Higher Education, Govt. of M.P. Important highlights are cited below:

26. Reservation: According to the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, it will be as follows:

26.2 16 and 20 percent seats will be reserved for applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) respectively. The places of both these classes will be interchangeable.

26.3 14 percent seats will be reserved for applicants of backward classes (except creamy layer) (Amendment No. 13681-227-21-A (Private) published in Madhya Pradesh Gazette No. 349 Bhopal dated 14/08/2019 is being included in the guideline in compliance of the amended order dated 13/08/2019 but will be implemented subject to the decision passed by the Honorable High Court under petition no. W.P 5901/2019)

26.4 Sons/daughters and grandsons/granddaughters and great grandsons/great granddaughters of freedom fighters, sons/daughters of soldiers martyred or permanently disabled in the line of duty in the Indian Army and dependents of ex-servicemen and serving personnel of the Central Arm Police Force 05 percent seats will be reserved jointly for the children of SC and ST and for the disabled category applicants of these categories.

26.5 5 percent seats will be reserved for the applicants of the disabled category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre.

26.6 Economically Weaker Sections (E.W.S): The benefit of 10 percent reservation will be given to students for admission in educational institutions by Order No. F-07-11/2019/ of the General Administration Department Bhopal dated 02nd July 2019 and in sequence with Commissioner Higher Education's letter no. 444/243/CHE/Sha-5'A/2019 Bhopal dated 15th July 2019.

26.7 30 percent of the seats available in all classes will be reserved for girl students.

Refer the Pravesh Niyam and Margdarshi Sidhant 2023-24 of Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh, Serial No. 26 Page No. 25,26

